दो दिवसीय

राष्ट्रीय संगोष्ठी

19-20 जनवरी, 2019

स्मारिका

SOUVENIR

दिव्यांगता : चुनौती एवं सामाजिक स्वीकार्यता

आयोजक

शिक्षा विभाग

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद् बिलासपुर

सक्षम

समदृष्टि, क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल

मानसिक विकलांगता और समाज

डॉ. हेमचन्द्र पाण्डेय
सहा.प्रा. राजनीति विज्ञान
सी.एम दुबे स्नातकोत्तर, महाविद्यालय
बिलासपुर

डॉ. बी.एल. गोयल.
क्षेत्रीय निर्देशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़,बिलासपुर

मानसिक विकलांगता की परिभाषा में समय के साथ बदलाव होते रहे हैं। मानसिक विकलांगता एक व्यापक विकशति है। यह 18 वर्ष की आयु से पहले दो या दो से अधिक रूपांतरित व्यवहारों में और महत्वपूर्ण रूप से संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विकार और न्यूवता के रूप में दिखता है। अधिकतर इसे आई क्यू के 70 के भीतर होने के रूप में परिभाषित किया जाता है।[1] मानसिक विकलांगता वाले बच्चे अन्य शिशुओं की तुलना में बाद में बैठना, घुटनों के बल चलना, पैरों के बल चलना या बोलना सीख पाते हैं। ऐसे बच्चों और व्यस्कों में मुख्यतः निम्नांकित लक्षण देखे जाते हैं– समस्या का समाधान निकालने के कौशल में कमी, स्मृति की न्यूनता, सामाजिक निषेध का अभाव, सामाजिक रीति रिवाजों को सीखने में कठिनाई, मौखिक भाषा क्षमता के विकास में विलंब तथा, स्वयं अपनी देख भाल करने की क्षमता के विकास में देरी।

50 – 69 आई क्यू वाले बच्चों की मानसिक विकलांगता हलकी होती है। इसके बारे में आभास तब मिलता है जब बच्चा स्कूल जाने लगता है और शैक्षणिक प्रदर्शन में दूसरे बच्चों से पिछड़ने लगता है। फिर भी इसे पहचानना आसान नहीं होता और आकलन के लिए विशेषज्ञों की जरूरत पड़ सकती है।

35 – 49 आई क्यू वाले औसत मानसिक विकलांग माने जाते हैं और इनके लक्षण जीवन के पहले साल में ही स्पष्ट हो जाती हैं। इन्हें काफी समर्थन और सहायता की जरूरत होती है, ताकि वे परिवार और समाज में भागीदारी कर सकें। इससे अधिक गंभीर मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को उनके पूरे जीवन काल में निरंतर देखरेख की आवश्यकता होती है। मानसिक विकलांगता के अनेक कारण हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें दूर करने में समाज और सरकार की भूमिका स्पष्ट रूप से बनती है। जैसे आयोडीन की कमी से दुनिया भर विशेष कर विकासशील देशों में लाखों लोग प्रभावित हैं। इससे 'क्रटिनिज्म' नामक मानसिक विकलांगता उत्पन्न होने की आशंका रहती है इसे रोका या कम किया जा सकता है।[2] इसी तरह दुनिया के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों, जैसे इथियोपिया में कुपोषण दिमाग के विकास में कमी का एक प्रमुख कारण रहा है।[3] इसके निराकरण में भी समाज, राज्य और विश्व समुदाय की भूमिका बनती है।

इतिहास गवाह है कि 'मानसिक विकलांगता' या विकासात्मक देरी वाले लोगों (ऐसा कहा जाना अधिक स्वीकार्य होता जा रहा है) के प्रति समाज सदय नहीं रहा है। उन्हें अयोग्य और

अक्षम करार दे कर लांछित किया जाता रहा है। पुनर्जागरण से पहले तक योरोप में मानसिक विकलांगों की देखभाल परिवार और धार्मिक मठों और संस्थाओं के द्वारा ही जैसे तैसे की जाती थी। यह भी रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराने तक ही सीमित थी। मानसिक विकलांगों को अभिशप्त और राक्षसी प्रवृत्ति वाला माना जाता था। एक समुदाय ऐसे लोगो को नावों में चढ़ा कर दूसरे समुदायों में भेज देते थे। ऐसी नावों को भूर्खो का जहाज कहा जाता था पुनर्जागरण के दौरान भी यह प्रवृत्ति प्रचलित थी।

18 वीं–19वीं सदी में व्यक्तिवाद और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के कारण मानसिक विकलांग लोगों के आवास और देखभाल को सुव्यवस्थित करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। बड़ी संस्थाएँ स्थापित हुई। पेंसिल वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया अस्पताल में तो 7000 ऐसे लोगों को 1960 के दशक में रखा गया था। इनमें से कुछ संस्थान इन्हें बुनियादी स्तर पर शिक्षित बनाने (जैसे रंगों में अंतर करने, अंकों की पहचान करने की शिक्षा) का प्रयास भी कर रहे थे। पर मानसिक विकलांग लोगों की निम्न उत्पादकता के कारण इन्हें समाज पर बोझ की तरह ही लिया जाता था। इन्हें दी जाने वाली सहायता सेवा प्रदाता की सुविधा के हिसाब से ही तय होती थी न कि मानसिक विकलांगों की मानवीय जरूरतों के आधार पर।

बीसवीं सदी में मानसिक विकलांगों के प्रति समाज और राज्य का नजरिया विविधता लिए हुए रहा। जन संख्या नियंत्रण की आवश्यकता और यूजेनिक्स (सुजनन) की अवधारणाओं के कारण इनके प्रति दृष्टिकोण में कठोरता आयी। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर अधिकतर विकसित देशों में बलात नसबंदी की गई और विवाह करने से रोका गया। हिट्लर ने तो यहूदियों के संहार के दौरान मानसिक रूप से विकलांग लोगों की हत्या को ताकि रूप से सही बताया। सुजनन आंदोलन इस तरह मानवधिकार विरोधी आंदोलन में बदल गया।

इस स्थिति में बदलाव, पश्चिमी देशों में 1952 के आसपास आना शुरू हुआ। नागरिकों ने मानसिक विकलांगों की सेवा और सशक्ति करण के कार्य को बड़े संगठनात्मक स्तर पर शुरू किया। मानसिक विकलांगों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।[4] इसके बावजूद मानसिक विकलांग लोग अधिकतर अलगाव के ही शिकार थे। 1969 में वोलफेंस बर्गर की युगांतर कारी रचना –"द ऑरिजिन एड नेचर ऑफ आवर इस्टीट्यूशनल मॉडेल्स" का प्रकाशन हुआ । इसमें कुछ ऐसे विचारों को लिया गया था जिन्हे जगभग 100 साल पहले एस जी होव ने प्रस्तावित किया था। इस पुस्तक में कहा गया है कि विकलांग लोगों को समाज बेकार उप मानव और दान पर जीने वाले पराजितों के रूप में देखता है। इस धारणा के कारण उन संभावित उत्पादको योगदानों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया जो मानसिक विकलांग समाज को दे सकते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में विकासात्मक विकलांगों के प्रति नीति और व्यवहार में परिवर्तन की जरूरत पर जोर दिया ताकि विकलांगों की मानवीय आवश्यकताओं को मान्यता मिल सके और उन्हें भी अन्य मनुष्यों की तरह ही बुनियादी मानवीय अधिकार प्राप्त हो सकें।

इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के बीच मानसिक विकलांगों के संदर्भ मे व्यापक स्वीकृति प्राप्त हुई। अंततः अमेरिका में 1980 में सिविल राइट्स ऑफ इंस्टीटयूट शनाइज्ड पर्सन्स एक्ट पारित हुआ। जिस तरह आधुनिक युग में मानवाधिकारों की अवधारणा पश्चिम से पूरब की तरफ आई है उसी तरह विकलांगों, विशेषकर मानसिक विकलांगों के अधिकारों के प्रति जागरूकता भी पश्चिमी प्रभाव से आई यद्यपि पूरब के देशों ने अपनी संस्कृति और परिस्थितियों के अनुरूप इन अधिकारों को प्रदान करने वाली नीतियों, कानूनों, संस्थाओं और कार्ययोजनाओं का निर्माण किया है। जहाँ तक भारत का संबंध है भारतीय संविधान तो देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देते हुए उनकी गरिमा की सुरक्षा और उन्हे न्याय प्रदान करने की ठोस आधारभूत सैद्धांतिक ढांचा हमें प्रदान करता ही है। विकलांगों व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम,1995 संविधान के उपर्युक्त प्रदान को विकलांगों के संदर्भ में विस्तृत कानूनी ढांचे में परिवर्तित कर देता है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 विशेष रूप से मानसिक विकलांगों के काल्याण के लिए बनाया गया अधिनियम है।[5] इस तरह कहा जा सकता है कि मानसिक विकलांगता के प्रति राज्य और समाज का दृष्टिकोण पिछली कुछ सदियों में निरंतर अधिक मानवीय, संवेदनशील और अनुकूल होता जा रहा है यद्यपि अभी लंबी यात्रा बाकी है पर गंतव्य की सही दिशा तय हो चुकी है।

Inclusive Education in India: Issues and Challenges

Dr. Pushkar Dubey
Assistant Professor & Head
Department of Management

Dr. Deepak Pandey
ICSSR - Post Doctoral Fellow
Department of Psychology

Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur

About 10% of the world's population lives with a disability, and 80% of these people with disabilities live in developing countries. The services available for people with disabilities differ widely between developed and developing countries. According to ofûcial estimates from the Census of India (Government of India, 2011), the number of people with disabilities in the country is 26 million, or roughly 2.1% of the total population. Thus managing these populations with a healthy society is matter of huge challenge before the country. Education of any country occupies a prominent position in shaping the future of a country. In a country like India, it becomes even more important because of growing population and resource constraints. Inclusive education (IE) is a novel approach towards educating the children with disability and learning difficulties with that of normal ones within the same roof. Government by the means of policies and programmes aims to promote inclusive education in the country. The present paper aims to study inclusive education in the country both at micro and macro level. It also highlights critical issues and challenges of inclusive education in the country.

Keywords: Inclusive education, disability, challenges, children

दिव्यांगता और मनोविज्ञान

डॉ. एस. रूपेन्द्र राव
विभागाध्यक्ष
मनोविज्ञान विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. छत्तीसगढ़, बिलासपुर

दिव्यांगता व्यक्ति की उस दशा को कह सकते है जो क्षति या अक्षमता के कारणों से उत्पन्न होती है। इसमें व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं संबंधी भूमिकाओं को सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम निभा पाता है। दिव्यांगता व्यक्ति के भौतिक, शारीरिक एवं मानसिक स्थितियों और उससे संबंधित क्रिया कलापों से उत्पन्न एक प्रकार की सामाजिक स्वरूप की स्थिती है। दिव्यांगता वह हानि है जो किसी व्यक्ति में जन्म से अथवा किसी क्षति के उपरान्त उसकी आयु, लिंग एवं सामाजिक स्तर के अनुरूप कार्य करने में बाधा पहुँचाती है।

स्वास्थ्य मनुष्य की वह क्षमता है जिससे वह शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से वातावरण के साथ लगातार समायोजन करता है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु या कार्यक्षेत्र व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार है, जो वह जन्म से मृत्यु तक समाज में रहते हुए करता है दिव्यांगता, क्षति या किसी भी प्रकार की अक्षमता का व्यापक शारीरिक एवं मानसिक प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है और इससे उसके व्यवहार में भी परिवर्तन दिखता है संपूर्ण व्यक्तित्व के एवं समग्र स्वास्थ्य को मनोशारीरिक दृष्टिकोण से ही समझा जा सकता है, सामान्य व्यक्ति की तुलना में दिव्यांगता मनुष्य के जीवन में विशेष चुनौतियाँ उपस्थित करती है मनुष्य अपनी सामान्य आवश्यकता से लेकर विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए निरंतर संघर्ष करता है ऐसे समय मानसिक रूप से सुदृढ़ होना अति आवश्यक हो जाता है, आंतरिक अंर्तद्वंद्व, संघर्ष, प्रत्याशा के बीच सामाजिक एवं पारिवारिक रूप से भी इन अवरोधों को दूर करने के लिए विशेष प्रयत्न करने होते हैं, ऐसे समय में पारिवारिक सामाजिक सहयोग भी अति आवश्यक हो जाता है प्रस्तुत अध्ययन में दिव्यांग व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्षों एवं मनोविज्ञान के संबंधों के आधार पर बेहतर जीवन के विकल्पों पर विचार करना इस अध्ययन का उद्देश्य है।

संकेत शब्द :– दिव्यांगता, मनोविज्ञान, मनोसामाजिक, मानसिक स्वास्थ्य, मनोशारीरिक।

दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा

डॉ. अनिता सिंह
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

श्रीमती मीनाक्षी महंत
सहायक प्राध्यापक
पं. मदन मोहन मालवीय शिक्षा महाविद्यालय,
लावर, बिलासपुर, छत्तीसगढ

बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएँ इस सीमा तक पायी जाती हैं कि उन्हें दिव्यांग बालकों के वर्ग में रखना आवश्यक हो जाता है। तब ये बालक सामान्य शिक्षण प्रणालियों एवं शिक्षा व्यवस्था का लाभ नहीं उठा पाते हैं। एक लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश में जहाँ सभी व्यक्तियों की योग्यताओं व क्षमताओं का अधिकतम विकास उनके अधिकारों द्वारा माना जाता है। ऐसे में देश, समाज, विद्यालय व परिवार का यह कर्तव्य हो जाता है कि विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक दृष्टिहीन बालक न तो सामान्य बालकों के साथ पढ़–लिख ही सकता है और न ही सामान्य बालकों के साथ अन्य सभी क्रियाकलापों में भाग ले सकता है। एक प्रतिभाशाली बालक सामान्य कक्षाओं में कुंठित हो सकता है और दूसरी तरफ एक पिछड़ा हुआ बालक कक्षा में लगातार असफल होने के कारण अन्य ग्रन्थियों से प्रभावित हो सकता है। अपचारी बालक अपने भगोड़ेपन की प्रवृत्ति, चोरी, गलत संगत और झूठ बोलने की आदत के कारण कक्षा में अन्य बालकों के साथ अपने को समायोजित नहीं कर पाता है तथा मनोवैज्ञानिक रूप से असंतुलित बालक कक्षा में अन्य समस्याओं को जन्म देता है। अतः इन विभिन्न दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग तरीके की शिक्षा व चिकित्सा की सुविधा देने की अत्यंत आवश्यकता है। जिससे वे अपनी इस क्षेत्र व स्तर के अनुरूप अपनी योग्यताओं का अधिकतम विकास कर सकें। इसके अलावा इनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था कर देने से सामान्य कक्षाओं में इनकी उपस्थिति के कारण शिक्षकों व अन्य छात्रों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

समावेशी शिक्षा

डॉ. प्रकृति जेम्स
निर्देशिका
सहायक प्राध्यापक शिक्षा–विभाग

सत्यप्रकाश यादव
शोधार्थी (शिक्षा)

पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में देश के सभी बच्चों को जिसमें दिव्यांगता से पीड़ित विशिष्ट बच्चे भी सम्मिलित हो समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया है। समता और न्याय पर आधारित सभी के लिए शिक्षा के सार्वभौमिक शिक्षा का स्वप्न तब तक पूर्ण नहीं

हो सकता जब तक इन दिव्यांग बच्चों को सामान्य शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट नहीं किया जाता, इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रत्येक शाला में समावेशी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, इसी तारतम्य में प्रत्येक शालाओं को समावेशी शाला का नाम दिया गया है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य एक ऐसी प्रभावशाली कक्षा व्यवस्था का निर्माण करने से है, जिसमें कक्षा के सभी बच्चों को उनके समर्थ होने या न होने का भेदभाव किये बिना उनकी शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, सामान्य बच्चों की कक्षा में दिव्यांग बच्चों को सम्मिलित कर जब एक सामान्य अध्यापक उनके सभी शैक्षिक दायित्वों को सहज स्वीकार करता है तभी उनकी समावेशी शिक्षा का अभिप्राय पूर्ण होता है।

दिव्यांगों का पुनर्वास

डॉ. अनिता सिंह
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

कालीचरण यादव
सहायक प्राध्यापक
पं. मदन मोहन मालवीय शिक्षा महाविद्यालय,
लावर, बिलासपुर, छत्तीसगढ

भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रूप से यह दिव्यांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर डालता है। हाल के वर्षो में दिव्यांगो के प्रति समाज का नजरिया तेजी से बदला है और वर्तमान में यह माना जा रहा है कि यदि दिव्यांगो को भी समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते है। पूर्व के मेडिकल पुनर्वास पर जोर डालने की बजाए अब सामाजिक पुनर्वास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। दिव्यांगों की बढ़ती योग्यता की पहचान की जा रही है और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किए जाने पर बल दिया जा रहा है। पुनर्वास के क्षेत्र में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कई राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं। पुनर्वास के उपायों को मूलतः तीन अलग–अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है – शारीरिक पुनर्वास, व्यावसायिक शिक्षा समेत शैक्षणिक पुनर्वास तथा समाज में गरिमामय जीवन जीने हेतु आर्थिक पुनर्वास। शारीरिक पुनर्वास के अंतर्गत परामर्श, मनोचिकित्सा, दिव्यांगों की क्षमता को सुदृढ़ करना फीजियोथैरेपी, दृष्टि मूल्यांकन, स्पीच–थैरेपी व विशेष–शिक्षा मुहैया कराया जा रहा है। वर्तमान में पुनर्वास सेवाएँ मुख्यतः शहर या उसके आस–पास के क्षेत्रों में उपलब्ध है।

दिव्यांगों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण

डॉ. ऋता दीक्षित
सहा.प्राध्यापक, हिन्दी
एल.एम.एस.पी.जी.कॉलेज, ऐटा

संजीव कुमार लवानियॉ
सहा.प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष,
समाजशास्त्र एवं समाज कार्य
पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

दिव्यांग बन्धु समाज के गौरव है। उनके प्रति निरीहभाव रखना और दया का पात्र मानना पाप है। "सक्षम" के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दयाल सिंह जी का प्रातिभ व्यक्तित्व असंख्य लोगो के लिए प्रेरणास्रोत्र है। अतः समाजशास्त्रीय दृष्टि से हमें उनके प्रति परम सम्मान का भाव रखते हुए उनके कौशल को अनुकरणीय आदर्श के रूप मे ग्रहण करना होगा। अतीत में उनके लिए प्रयुक्त 'विकलांग' शब्द का प्रायश्चित् यही है। वे वस्तुतः मानव के श्रृंगार हैं। विश्व में ऐसी अनगिनत विभूतियाँ हैं जिनकी उपलब्धियों के सम्मुख हम नतमस्तक हैं। अतः समाज को अपनी संकीर्ण मानसिकता में परिष्कार कर दिव्यांगो के प्रति कृतज्ञ होना होगा। यह सामाजिक दायित्व अपरिहार्य है!!!

इस सामाजिक दृष्टिकोण के परिवर्तन के सार्थक आयाम दृष्टिगोचर भी हो रहे है। चित्रकूट में भारत का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय" स्थापित हैं, जो आदरणीय एवं अनुकरणीय है। प्रयागराज मे आयोजित महाकुम्भ मे' सक्षमं" का "दृष्टिमहाकुम्भ" कार्यरत है, जिसमें 400 चिकित्सक सेवाएँ प्रदान कर रहें है! यह भावधारा सतत प्रवाहित रहनी चाहिए!!!

दिव्यांगता अधिनियम २०१६ - एक दृष्टि

डॉ. प्रीतीरानी मिश्रा
सहायक प्राध्यापक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर

दिव्यांगता एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, ऐन्द्रिक, बौद्धिक विकास में किसी प्रकार की कमी कोई कित करता है। संज्ञानात्मक, बौद्धिक, संवेदी, विकासात्मक, शारीरिक या इनमें से कुछ संयोजन ही दिव्यांगता है। कुछ दिव्यांग जो दिमागी रूप से दिव्यांग होते है। वे लोग शारीरिक रूप से हष्ट–पुष्ट दिखते है लेकिन दिमागी रूप से दिव्यांग होते है। वो भी दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। उनकी दिव्यांगता उनके परिवारजनों के द्वारा उनका सही

से तरीके से ख्याल ना रखने या उन्हें सही पौष्टिक आहार ना देने अथवा जन्मजात भी हो सकती है। यह किसी व्यक्ति के जीवन की गतिविधियों को प्रभावित करता है।

हाल ही में केन्द्र सरकार ने दिव्यांगजन आधिकार अधिनियम 2016 पारित किया जो 19 अप्रैल 2017 से लागू हो गया है। नये अधिनियम में दिव्यांगों को बहुत सारे अधिकार दिये गये हैं। नया आधिनियम राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों पर यह जिम्मेदारी देता है कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि दिव्यांग दूसरे नागरिकों के समान ही अपने आधिकारों का उपयोग कर सकें। यह अधिनियम राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश को यह जिम्मेदारी देता है कि वे ऐसी योजनाएँ, कार्यक्रम बनाए तथा ऐसी अवसंरचना विकसित करें कि दिव्यांगों का सशक्तिकरण और समावेश सुनिश्चित हो सके। केन्द्र सरकार नए तरीके से निर्मित करने की प्रक्रिया से संलग्न है और राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेशों से यह आशा की जाती है कि वे भी अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों में तदनुसार परिवर्तन करें। इसी परिप्रेक्ष्य में पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ इस अधिनियम में दिव्यांगता को गतिशील और व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया है। दिव्यांगता के प्रकारों की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। 1.नेत्रहीनता 2. दृष्टिहीनता 3. कुष्टउपचारितजन 4. श्रवणदुर्बलता 5. गतिहीनता 6. बौनापन 7. बौद्धिक 8. मानसिक रूग्णता 9. स्वलीनता 10. मस्तिष्क पक्षाघात 11. मांसपेशीय दुर्विकास 12. दीर्घकालिक मानसिक स्थितियाँ 13. विषेश अध्ययन दुर्बलता 14. विविध स्लोरोसिस 15. बोलने और भाषा की दुर्बलता 16. थैलेसीमिया 17. होमोफीलिया 18. लाल रक्त कोशिका रोग 19. बहरेपन और नेत्रहीनता से जुड़ी विविध दिव्यांगता 20. एसिड़ हमले का पीड़ित 21. पारकिंसन रोग

विशेष शिक्षा : आवश्यकता एवं महत्व

डॉ. रुचि त्रिपाठी
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

मानव विकास हेतु शिक्षा अपरिहार्य है। शिक्षा के बिना सभ्य मानव समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समान रुप से शिक्षा प्राप्त करना सबका अधिकार है। भारतीय संविधान जाति, वर्ग, धर्म एवं लैगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद को निषेध करता है। विशेष शिक्षा का मूल उद्देश्य विशिष्ट बच्चों की पहचान कर उनकी असमर्थता का पता लगाकर उनको दूर करने की कोशिश करना है। प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है। किन्तु कुछ बच्चों को विशिष्ट सहायता की आवश्यकता होती है, जिससे उनका पूर्ण विकास हो सके। जब विशिष्ट बालक शब्द का प्रयोग होता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा बालक जो बालकों के

सामान्य समूह से अलग कुछ विशिष्टता रखता हो। विशिष्ट बालक की ये विशेषताएँ सोचने, समझने, सीखने, समायोजन करने आदि की योग्यताएँ हो सकती है, जिसमें इन भिन्नताओं को कई भागों में बाटा जा सकता है, जैसे बुद्वि के आधार पर, शारीरिक क्षमता के आधार पर, दृष्टिबाधा के आधार पर आदि। चूंकि इन सभी प्रकार के बालकों की प्रकृति भिन्न होती है इसलिए इनके लिए विशेष प्रकार की शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। अतः इनकी समस्याओं का निदान इनकी विशिष्ट प्रकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है।

Disability and Development: A Study form Social Perspective

Mr. Reshamlal Pradhan
Assistant Professor & Head
Department of Computer Science

Dr. Mordhwaj Tripathi
Assistant Professor (Consultant)
Department of Commerce

Pandit Sundarlal Sharma (Open) University, Bilaspur

People with disabilities represent a significant proportion of the world population (15%) and therefore cannot be ignored or excluded from development efforts. There is a strong link between disability and poverty, disability being both a cause and a consequence of poverty: poor people are more likely to become disabled, and persons with disabilities are among the poorest. Due to ageing populations there is a higher risk today of acquiring an impairment leading to a disability Development can only be effective if inequalities between different groups are addressed. However, people with disabilities are among groups that suffer most from inequalities, especially with regard to key aspects of life such as access to water, health, education, or employment. Societies cannot develop in a cohesive manner if a significant part of their members continue to be treated differently and discriminated against because of their disabilities. Excluding people with disabilities from society has a significant cost. For example, research highlights the fact that disability affects the economic well-being of 20% to 25% of households in Asia. At the same time, it is estimated that using universal design principles to make a community centre and a school accessible only add 0.47% and 0.78%, respectively, to the overall costs. It is estimated that the rehabilitation needs of 80% of people with disabilities could be satisfied at community level. The remaining 20% are likely to require referral to some kind of specialist facility. The present article focuses on demographic and economic argument of social development with respect to disability.

Keywords: Disability, development, education, employment.

दिव्यांग व्यक्ति एवं विधि

डॉ श्रीमती तनुजा बिरथरे
सहा. प्राध्यापक
पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. छत्तीसगढ़, बिलासपुर

दिव्यांग व्यक्तियों में वे व्यक्ति शामिल है जो कि अन्य लोगो के साथ समानता के आधार पर कार्य करने मे अपनी भूमिका एवं अपनी आंतरिक सहभागिता निभानें में असमर्थ रहते है एवं वे शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता से ग्रस्त रहते है। सामाजिक दृष्टिकोण उन्हे सामान्य समाजिक जीवन न जीने के लिये मजबूर कर देता हैं। 2016 के अधिनियम से पूर्व दिव्यांगों को असमर्थ या विकलांग के नाम से संबोधित किया जाता था। सर्व प्रथम दिव्यांगो के अधिकारों के लिये 9 दिसम्बर 1975 को असमर्थ व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा को अंगीकार किया था। तत् पश्चात् महासभा ने 19 दिसम्बर 2001 को असमर्थ व्यक्तियों की गरिमा एवं अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण के लिये एक तदर्थ समिति की स्थापना की थी। महा सभा ने 13 दिसम्बर 2006 को सर्वसम्मति से असमर्थ व्यक्तियों के अधिकारों के अभिसमय को अंगीकार किया था। यह अभिसमय 20 राज्यों के अनुसमर्थन के पश्चात् 3 मई 2008 को लागू हुआ। परंतु 26 जनवरी 2015 तक 151 राज्य इसके पक्ष मे आकर खड़े हो गये थे।

उपरोक्त अभिसमय के द्वारा बहुत से अधिकार प्रदान किये गये जैसे जीवन का अधिकार, विधि के समक्ष समान व्यवहार, न्याय तक पहुँच, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, निर्दयतापूर्ण एवं क्रूर व्यवहार से स्वतंत्रता, अमानवीस एवं अपमान जनक व्यवहार एवं दण्ड तथा शोषण से मुक्ति, हिंसा से मुक्ति, राष्ट्रिय भ्रमण की स्वतंत्रता, सलाह एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि अभिसमय ने यह भी निश्चित किया की असमर्थ लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य व काम पाने का अधिकार भी होगा। विकलांगता अधिनियम 2016 के द्वारा बहुत से अधिकार प्रदान किये गये है, जैसे–शिक्षा, कौशल विकास और नियोजन, सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य पुनर्वास आमोद–प्रमोद आदि।

HANDICAP:CHALLENGE AND SOCIAL ACCEPTANCE: HANDICAP AND SELF CONFIDENCE:

Dr. ANUPA THOMAS
Asstt. Prof. (English)
Pt. Sudarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur

Being a handicap is always the odd one in the group.But handicap is not a problem actually—think so.It is a different set up.Think differently,act differently and be different and that makes a world of difference in your life of difference.

Don't give up high morale,because if in possession of a high spirit ,then half of life's battle is won.Then with a little bit of cooperation and support from the family and friends makes life

worth living.

The most important thing to be done in this regard is to spread the right mentality so that the life of a handicapped person is not disrupted.For it—right teaching,right ducation is that which is needed.A proper environment is also needed for it.

Always a positive approach in dealings should be the way they be dealt with.Otherwise it would not only be discouraging but shortly speaking is disheartening even.Generally,such people are emotionally at the brink of either drowning,swooning or swimming safely.They should be made to realize the worth of life and should be told how life is worth living even amidst all hardships and struggles.

The government should stand firm to adopt them, cooperating with them at every walk of life.It should provide grants ,funds and fine opportunities to bring them up abundantly.And inspections for their well being should be done from time to time.Special laws should be made and all positivities and hope should be instilled in their hearts and soul.Like a setup,they should be given a pre-hand knowledge about their future ,to make them confident.

A good social acceptance is that which makes the difference in life.Being financially supported,they would always have people to attend to them and receive them at every beck and call.Opening new avenues,providing newer approaches,leading them to better prospects could make them almost equal to others.

IMPORTANCE OF EYE DONATION FOR HUMAN LIFE

Dr. Rituraj Trivedi
Assistant Professor, Department of English
Pt. Sundarlal Sharma (open) University

Eyes are one of the most important sensitive organs in the human body because it makes vision and the power to see. Visually defective people feel that their life is incomplete as they can just touch, feel and smell things but cannot see it. Eye donation is an act of donating one's eyes after his/her death. Donated eyes can be used to restore vision in people who are who are suffering from corneal blindness. Statistics show that there are 15 million blind people in India and out of this, 6.8 million people are suffering from corneal blindness. One can donate the eyes of the departed relatives. Though they have never registered as eye donors. To donate the eyes of the departed, contact the nearest eye bank at any time. Eyes have to be removed within 6-8 hours after death. Removal of eyes will take only 15 to 20 minutes. When registering yourself as an eye donor it is advisable to discuss the matter with your family, lawyer, personal physician and friends etc.

Please motivate your friends and relatives to enroll as eye donors. Eye donation and contact the eye bank, if consent is obtained. Only those of legal age (+ 18 years) can enroll as eye donors by submitting one completed pledge form. Donated eyes can be bought or sold as it is a crime under the above mentioned Act. Eye banks come under HUMAN ORGAN TRANSPLANT ACTION ACT (1994) and are given registration after inspection by competent authorities. There are wide spread social awareness programs and activities conducted across the country to impart the significance of eye donation and its usefulness to the visually defective people.

Keywords: Corneal, impart, pledge, significance.

दिव्यांगों का सामाजिक विकास और मीडिया

डॉ. अनुपमा कुमारी,
सहायक प्राध्यापक,पत्रकारिता विभाग
पं.सुन्दरलाल शर्मा (मु.)विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

भारत में दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग दो प्रतिशत है। इस संख्या के लगभग दस प्रतिशत ऐसे लोग भी हैं जिन्हें एक अथवा इससे अधिक प्रकार की दिव्यांगता है जिनमें दृष्टिगत, श्रवण, शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता हो सकती है। यह दिव्यांगता ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कई तरह से देखने को मिलती है। दिव्यांगता का प्रतिशत भारत में लगातार बढ़ रहा है। दिव्यांग व्यक्ति की समस्याओं को समझना और उनके सामाजिक विकास का कार्य एक गंभीर चुनौती है। इस दिशा में समेकित राष्ट्रीय नीतियों को दिव्यांग व्यक्तियों तक पहुंचाना और इस कार्य के लिए समाजसेवी व्यक्तियों, काउंसलर तथा सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओ को तैयार करना तथा लोगों में दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना बेहद जरूरी है। इसके लिए सामुदायिक सहभागिता की भी जरुरत है। दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों तक शिक्षा, रोजगार, पुनर्वास, निर्योग्यताओं की रोकथाम तथा तकनीकी कौशल के प्रति जन–जागरुकता पैदा करने का कार्य मीडिया बेहतर तरीके से कर सकता है। स्वयं सेवी संगठनों, राष्ट्रीय दिव्यांग संस्थानों तथा इसके उचित प्रशिक्षण में मीडिया की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव शक्ति के विकास में मीडिया ही ऐसा उपकरण है जो दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में प्रकाश भरने का काम बखूबी कर सकता है। दिव्यांगता पर अनेक पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्रियों, श्रव्य–दृश्य सामग्री एवं चलचित्रों के माध्यम से इस चुनौती का सामना किया जा सकता है साथ ही शोध, शिक्षण–प्रशिक्षण के कार्यक्रमों से दिव्यांगता के सामाजिक विकास की समस्याओं को दूर करने में सहायता मिल सकती है। प्रस्तुत शोध पत्र में दिव्यांगों के सामाजिक विकास में मीडिया की भूमिका पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। इसके लिए अवलोकन एवम् सर्वेक्षण विधि का इस्तेमाल किया गया है।

मुख्य शब्दः दिव्यांगता, सामाजिक विकास, मीडिया

दिव्यांगता में सहायक प्रौद्योगिकी का योगदान : एक अध्ययन

डॉ. मनोज कुमार तिवारी
सहायक प्राध्यापक,गणित विभाग
पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

सहायक प्रौद्योगिकी एक उपबंध है जिसमें विकलांग या बुजुर्ग व्यक्ति के जीवन को अनुकूल और आसान बनाने के लिये उपकरण की व्यवस्था की जाती है। इसमें उपकरणों के चयन और उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया भी शामिल है। जो लोग विकलांग हैं। उन्हें अक्सर स्वतंत्र रूप से आने–जाने में, दैनिक जीवन (एडीएल) की गतिविधियों को करने में कठिनाई होती है। इसमें टॉयलेटिंग, एम्बुलेशन, खाना, स्नान, ड्रेसिंग और संवारना आदि शामिल है। यह इन प्रभावों को कम करता है. इनकी मदद से उनके जीवन को आसान और खुशहाल बनाया जा सकता है। इसमें व्हीलचेयर, स्कूटर, वॉकर, कृत्रिम उपकरण और ऑर्थोटिक डिवाइस जैसे गतिशील सहायक उपकरण, श्रवण यंत्र, कम्प्यूटर या इलेक्ट्रिकल सहायक उपकरण, शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने वाले विकलांगों के लिए स्वचालित पेज टर्नर, पुस्तक धारक और अनुकूलित पेंसिल पकड़ फिल्मों, टेलीविजन कार्यक्रमों और अन्य डिजिटल मीडिया को देखने के लिए सुनने की समस्याओं वाले लोगों को अनुमति देने के लिए बंद कैप्शनिंग, रैंप, ग्रैब बार, खाना पकाने, कपड़े पहनने और संवारने जैसे कार्यों को करने में मददगार उपकरण, विशेष हैंडल और ग्रिप, डिवाइस आदि तकनीकी उपकरण कैसे उनके जीवन को आसान बना रहे हैं. इसी विषय पर यह शोध पत्र तैयार किया गया है।

विद्वता बनाम विकलांगता

डॉ. अमित कुमार पाण्डेय
सहा. प्राध्यापक

डॉ. बालकराम चौकसे
सहा. प्राध्यापक

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,बिलासपुर

वस्तुतः किसी मनुष्य के भीतर किसी प्रकार की अपूर्णता या विकृति होने के कारण वह मनुष्य विकलांग या निःशक्त संज्ञा प्राप्त नहीं होता ,यथार्तः मनुष्य की स्वयंप्रज्ञा या विचारणा ही उसे विकलांगता की श्रेणी में रखने का हेतु होती है, वैदिक वांग्मय में विदेहराज जनक के गुरु अष्टावक्र का प्रसंग प्रस्तुत सन्दर्भ में हमारी धारणा स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होता है उद्धरण आता है एक

ऐसे विकलांग ब्रम्हज्ञानी का जिसके चरणों में बैठकर मिथिलापति राजा जनक ने ब्रम्हज्ञान प्राप्त किया जो स्वयं जन्म से ही विकृत अंग थे, किन्तु आत्मिक दृष्टि से वे इतने ओजस्वी व् समर्थ थे की अपनी आत्म प्रज्ञा व् मेधा के उद्घोष से उन्होंने राजा जनक की सभा के बड़े बड़े विद्वान् पंडितो व् अपने पिता की हत्या के अभियुक्त पंडित बंधी को शाश्त्रार्थ के लिए ललकार कर अपनी अपूर्व बुद्धिमत्ता का परिचय प्रदान किया |

विकलांगता सदृश अभिशाप को समाज से दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा प्रणाली भी अपना बहुमूल्य योगदान निभा सकती है समावेशी शिक्षा समाज के सभी मनुष्यों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की सार्थक पहल है | दिव्यांग महापुरुषों ने समाज के हर क्षेत्रो में जैसे अध्यात्म, विज्ञान,साहित्य रचना में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है इस सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान भी एक सार्थक पहल है, जोकि दिव्यांगता के विरूद्ध एक अभियान है |स्वास्थ्य मानव जीवन की अमूल्य निधि है दिव्यांगता के प्रतिकार के लिए यह हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य है की हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से इसका प्रतिकार करें और साथ ही समाज का भी यह मौलिक कर्तव्य है की समाज के किसी व्यवहार से दिव्यांगजानो का आत्मसम्मान आहत न हो एवं उनके प्रति सहयोग व सम्मान का भाव ही द्रष्टव्य हो |

दिव्यांग जीवन का मर्म

डॉ. कप्तान सिंह
सहा. प्राध्यापक–योग विज्ञान विभाग
पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

मानव जीवन प्रकृति का सर्वोत्कृष्ट निदर्शन है। जीवन प्रवाह के साथ मानव संस्कृति भी प्रवाहशील रही है। नाना प्रकार की प्राकृतिक एवं मानवीय सुषमा से सुसज्जित प्रकृति में यत्र तत्र विसंगति एवं विकृति भी दृष्टिगत होती है जो प्रकृति एवं संस्कृति के विकास के साथ–साथ विकसित होती है। मृदुता के साथ कटुता पूर्णता के साथ अपूर्णता, विकरित के साथ विनास जीवन के साथ मृत्यु, आरोग्य के साथ रूग्णता का जो सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध, सादृश्य सकलांग जीवन के साथ दिव्यांग जीवन का है।

दिव्यांग जीवन अपूर्ण एवं अनपेक्षित होते हुए भी पूर्णता एवं अपेक्षा से परिपूर्ण हैं। रूढ़ियों, अंधविश्वासों, काल्पनिक आख्यानों की विदुपता से मुक्त दिव्यांग जीवन वैज्ञानिक सोच, संतुलित दृष्टिकोण, मानवीय प्रयत्न एवं संवेदनशील संस्कृति की अपेक्षा रखता है। दिव्यांग जीवन किंचित अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण हैं। अवांक्षनीय होते हुए भी आकांक्षायुक्त है क्योंकि मूल्य आत्मसत्ता का हैं। शरीर एवं आत्मा के उपस्कर है। आत्मा की पूर्णता दिव्यांग जीवन की पूर्णता का एहसास कराती है। मूलतः विभिन्न रूप में दृष्टिगत दिव्यांगता आत्मा की पूर्णता से परिपूर्ण है, शाश्वत दिव्य है। अतः दिव्यांगता की संवेदना मानव धर्म है और यही दिव्यांग जीवन का मर्म हैं।

DISABLITY: NEEDS SPECIAL RECOGNITION

Dr. D.P.KUITY
UGC Visiting Professor

Dr. A. K Sharma
Scientist, CSIR (Retd.)

Existence of disablel persons is not new to the modern times. There are many examples which can be sighted from the Indian Mythology e.g. Raja Dhritarashtra (Blind by birth), Andhamuni and his wife (parents of Shravan Kumar, both were blind by birth).All these disabled persons were managing their life with the technology available at that time. Across the globe about 37 million people are blind, in which more than 15 million are Indians.75% of these blindness are avoidable blindness. Shortage of donated eyes and optometrists are the main huddle which comes on the way. India needs 40,000 optometrists but she has about 12000 only. Because of huge rush of patient these ophthalmologists do not have time to conduct blindness preventing surgeries. India needs 2.5 lakh donated eyes every year, the country's 109 eye banks (five in Delhi) manage to collect a maximum of just 25,000 eyes, out of this only 70% is only suitable for use. An estimate says that one eye surgeon is present per 1,00,000 people. There are about 15 million blind people present in India in which 3 million (26%) are children who suffer due to corneal disorders. The disability is not limited to any age, caste or within rich or poor people. Steve Wynn, the casino developer, is a billionaire and he suffers from retinitis pigmentosa. In many cases problem of blindness can be solved by donated eyes. There is an acute shortage of donated eyes. The Union Health Ministry has already launched a national programme to control blindness. W.H.O. has given the deadline of 2020 for this. The human disability is a global problem. All our the steps should be efficacious to minimize the problem related to them. Even few decades back disabled persons were generally thought as burden for the family and people looking them in different eyes. Economically poor people were begging normally. Modern

society is giving paramount importance to this problem. Newly constructed Disabled Research Centre and Hospital is present at Mopka, Bilaspur, C.G. The daughter of Shri Mukesh Ambani Mrs. Neeta started "Special Rice Programme" in Narayan Seva Institute, Udaipur, Rajasthan. Mrs. Neeta served food and sweets to disabled children. Recently on (23rd Dec.18) IIM, Raipur organized "Marathon" for disabled person, 1km for blind & 3 kms for deaf & dumb. These activities definitely boosted up them morally. Now a days, in all important functions a slot is reserved for disabled persons. Disabled persons are not always paupers by heart/mind or strength. More researches are needed and also sufficient medical aid should be provided to them.

IS DISABILITY AN OBSTACLE FOR SUCCESS ?

Smt. Kishori patel
Asst. Professor (English)
Govt. College Kotri
Distt – Mungeli, C.G.

"Where there is a will there is a way"

The main obstacle of life is that we cannot do this. The moment we start thinking in a positive way there are the chances that even the most difficult thing or hurdle of our life will become extremely beautiful and easy.

Human Beings should change their vision, its all in our minds that disability can become an obstacle. But if we change our mindset we will find that differentiated ability can become the only reason for our success.

The world is filled with examples of such persons who have overcame disability and performed in life. Be it Stephen Hawkin's the big bang theory gives, be it Arunima Sinha. The first Female Amputee in the world and India to summit Mt. Everest. In fact, many people have achieved their dream to show the disables that what they can achieve more than the one's who are fine.

"Success is not the property of brilliants instead it is the crown of those who bend themselves in front of hard work and commitment".

Disability is not an obstacle, the only obstacle is how we perceive it.

दिव्यांग विमर्श

डॉ. रेखा पालेश्वर
प्राचार्य
शा.उ.मा.वि. बुन्देला, विकासखण्ड, बिल्हा, बिलासपुर

दिव्यांग विमर्श आज की आवश्यकता एवं युग की मांग है। परिषद् का प्रयास इस दृष्टि से सराहनीय है, क्योंकि इसके जरिये समाज के एक बड़े किन्तु अनदेखे वर्ग की व्यथा हम तक पहुँची है। यदि दिव्यांग विमर्श को हम एकात्म मानव दर्शन के आलोक में समझने का प्रयास करेंगे तो समाज के हाशिये पर पड़े वर्ग के साथ हो सकेंगे और यह समाज अपनी शक्ति समग्रता में साक्षात्कार कर सकेगा। डॉ. विनय कुमार पाठक समीक्षक एवं भाषाविद् अध्यक्ष छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग ने कहा कि जाति और लिंग से परे विशुद्ध मानवतावादी दृष्टि पर केन्द्रित दिव्यांग विमर्श इक्कीसवीं सदी का चर्चित विमर्श सिद्ध हुआ है। डॉ. सुरेश माहेश्वरी ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि चार राष्ट्रीय संगोष्ठियों के बाद छः वर्ष पूर्व अमलनेर महाराष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में इसे वैश्विक परिदृश्य पर प्रतिष्ठित कर दिया।

समाज में (निःशक्त) दिव्यांग लोगों को सदैव हाशिये पर रखा जाता रहा है। परन्तु कई दिव्यांग ऐसेहैं जो हाशिये को तोड़कर समाज की मूलधारा में अपनी इच्छाशक्ति के बदौलत शामिल हो गए और समाज में अपना एक अलग मुकाम निश्चित किया।

डॉ. विनय कुमार पाठक हिन्दी जगत के एक सुविख्यात लेखक व समीक्षक हैं। वह पिछले कई वर्षों से नयी चेतना से जुड़े विषयों पर काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और विकलांग विमर्श पर किया गया उनका कार्य अपने अथक परिश्रम से उन्होंने बिन्दु को वर्तुल बनाया है। हिन्दी साहित्य में दिव्यांगों के ऊपर छुट–पुट, यहाँ–वहाँ लिखा गया है, मगर जिस प्रतिबद्धता के साथ डॉ. विनय कुमार पाठक लिख रहे हैं, वैसा नहीं लिखा गया है। दलित, स्त्री और दिव्यांग तीनों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक जैसी है। ये तीनों सक्षमतावाद के शिकार हैं। वर्ग, वर्ण, नस्ल और मर्द की तरह यह सक्षमता भी समाज के लिए अभिशाप है। जरुरत है साहित्यकार इसे भी शिद्दत के साथ अपने लेखन का विषय बनाये, जिससे समाज इनकी समस्याओं से अवगत हो, उसे दूर करने का प्रयास करें और ये दिव्यांग, दलित और स्त्री की तरह सामाजिक जीवन में समरस होकर समाज के विकास में हाथ बंटा सके।

दिव्यांग–विमर्श के संदर्भ में सबसे पहले बिलासपुर में डॉ. द्वारिका प्रसाद अग्रवाल ने आवाज उठाई है। दिव्यांग महापुरुषों ने समाज के हर क्षेत्र में जैसे वैदिक रचना, साहित्य, कला, विज्ञान, आविष्कार, वीरता, राजनीति, खेल आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ऐसी स्थिति में समाज के हर वर्ग का यह दायित्व होता है कि वह दिव्यांगों के विषय में सोचें। यह विमर्श अन्यान्य लोगों के हृदय और मस्तिष्क को स्पर्श कर समाजोत्कर्ष का उदाहरण बने, यही अभी आकांक्षा है।

दिव्यांगता और मनोविज्ञान

डॉ. अनुसुईया अग्रवाल, डी. लिट्.
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हिंदी,
शा. म. व. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद

बच्चा हो या बड़ा; अपनी इच्छा से कभी दिव्यांग नहीं होता दुर्भाग्य या दुर्घटनावश दिव्यांगता का शिकार हो जाता है तो समय द्वारा बार– बार उपेक्षित, तिरस्कृत और अपमानित होता रहता है। इस वजह से उनमें एक कुंठा और पीड़ा घर कर जाती है। वे यह मानने लगते हैं कि उनकी इस अल्पता की आपूर्ति जीवन पर्यन्त संभव नहीं है। ऐसे में या तो वे टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं अथवा विद्रोही हो जाते हैं और वही काम करते हैं जिसे मना किया जाता है या जो उनके और परिवार के लिए नुकसानदायक होता है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि परिवार, समाज, स्वयंसेवी संस्थाएँ, राज्य शासन इन निःशक्तों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास करें और उनमें आत्मविश्वास तथा आत्मबल का विकास करे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सबसे प्रोत्साहन पाकर ही वे अपना जीवन सहज रूप में व्यतीत कर सकते हैं।

एस. डी. पोर्टियस के अनुसार– "मंदबुद्धि बालक वह है जिनमें स्थायी मंदता अथवा सीमित मानसिक विकास पाया जाता है। मानसिक रूप से दुर्बल बालक अपना काम स्वयं करने में असमर्थ होते हैं।"

अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएन्सी के अनुसार– "मानसिक मंदता में सामान्य बौद्धिक प्रकार्य सामान्य से कम स्तर के होते हैं।"

ई. ए. डाल के अनुसार– "मानसिक दुर्बलता सामाजिक अयोग्यता की वह अवस्था है जो परिपक्वता पर प्राप्त होती है। यह बुद्धि के विकास के सीमित हो जाने के कारण होती है; जिसकी उत्पत्ति शारीरिक कारणों से होती है।"

परिभाषाओं के आधार पर मंद बुद्धि तीन प्रकार के माने जा सकते हैं–

01. जड़ बुद्धि– इस प्रकार के बच्चों का आई क्यू 25 होता है और मानसिक विकास दो वर्ष के बच्चे जैसा होता है।

02. मूढ़– इनका आई क्यू 25– 50 तक होता है और ये तीन से सात वर्ष तक के बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। इन्हें अक्षर ज्ञान कराया जा सकता है।

03. मूर्ख– इनका आई क्यू 50– 70 तक होता है। ये सात से दस वर्ष तक के बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं यद्यपि मूढ़ होते हैं तथापि रोजी– रोटी कमाने के काम सीख सकते हैं।

मंद बुद्धि के कारणों पर विचार करें तो ज्ञात होता है कि वंशानुक्रम, छूत की बीमारी, गर्भावस्था के दौरान पिट्यूटरी व थायरॉक्सीन हार्मोन्स की कमी, गर्भावस्था में एक्स–रे लेना, जन्म के समय मस्तिष्क पर आघात, माँ के द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन, अधिक उम्र में संतान का होना आदि ऐसे कारण है जिससे बच्चा मंद बुद्धि हो सकता है। किंतु अपनों का प्यार और अपनत्व हर अपंगता से जूझने की शक्ति प्रदान कर सकता है।

दिव्यन्गता एक सोंच

इन्द्रेश कुमार
अध्यक्ष
साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे
दिव्यांग एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन –बिलासपुर

शब्द "हैन्डीकैप " अथवा "विकलांग" का अर्थ "बाधा" या "रुकावट" होता है जो की किसी इन्सान के शरीर के किसी भी भाग में विकृति हो जाने पर होता है तब शारीरिक रूप से उस व्यक्ति को भिन्न -भिन्न नामों से संबोधित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाता है और जब से इन्सान का संबोधन इन नामों से समाज में लोगों के द्वारा होने लगता है तब से विकलांग को शारीरिक और मानसिक रूप से इस सामाजिक दंश को झेलने की अवस्था शुरू हो जाती है I अगर कोई इन्सान बचपन से या जनम से विकलांग हो जाता है तो वह जब समाज के लोगों के बिच अथवा अपने उम्र के दोस्तों के बिच खेलना और रहना शुरू कर देता है तो उसे उस समय अलग ही कटाक्ष भरे नामों से संबोधित किया जाता है जैसे कोई अस्थि बाधित है तो उसे "सुदामा " और जो दृष्टी बाधित हो उसे "सूरदास के नामों से संबोधित किया जाने लगता है जो की इसका प्रभाव सीधा मन ,भावना और चेतना पर नकारात्मक रूप से पड़ने लगता है I

वास्तव में किसी भी इन्सान के शरीर के अन्दर किसी भी प्रकार की विक्रीती आ जाने पर वह इन्सान "निःशक्त"या "विकलांग " नहीं होता बल्कि इन्सान की सोंच इन्सान को निःशक्त बना देता है क्यूंकि वह मानसिक रूप से खुद को समझ लेता है कि मेरे शरीर में इस प्रकार की विकृति है इस लिए मै ये नहीं कर सकता और इस तरह जोइंसन जैसा सोंचता है वो वैसा ही होकर रह जाता है I अतः अगर ये कहा जाये की उसकी शारीरिक विकृति उसकी निःशक्तता का कारण नहीं है अपितु इसका कारण सिर्फ उसका खुद का सोंच है I

आज के वर्तमान परिवेश में जो विकलांग रह रहे हैं वो अपनी सकारात्मक सोंच के साथ आगे

बढ़ना चाहते हैं तो समाज के लोगों के द्वारा ही उनके सामने जान-बुझकर अवरोध पैदा कर दिया जाता है और उसे उत्साहीत करने के वजाय उसे हतोत्साहीत किया जाता है जिस कारन से भी कई होनहार विकलांग जो समाज के मुख्यधारा से जुड़कर खुद को अपने समाज और देश के लिए एक पहचान बनने हेतु खुद को सकारात्मक सोंच से इस कार्य के प्रति खुद को समर्पित कर आगे बढ़ना चाहते भी हैं तो उनके सामने लोगों के द्वारा ही वातावरण सम्बन्धी अवरोध ,जान-बुझकर किसी भी तरह का अवरोध पैदा कर उसके मनोबल को तोड़ दिया जाता है I

माननिये प्रधानमंत्री,श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा पहली बार वाराणसी में विकलांग की जगह "दिव्यांग" के नाम से संबोधित कर समाज और देश में इन्हें इनकी अंदर एक अद्भूत छुपी हुई प्रतिभाओं को महशुस करते हुए इन्हें आगे बढ़ने हेतु न सिर्फ प्रोत्साहीत किया अपितु दिव्यांग को समाज के मुख्यधारा से जोड़ने के साथ -साथ उन्हें समाज में समानता, सुरक्षा, संरक्षा, सम्मान, कल्याण, अधिकार और विकास के साथ ही साथ परिवेश को सुगम्य बनाने के लिए सुगम्य भारत अभियान (एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन या सुलभ भारत अभियान भी कहा जाता है) को भारत के प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी ने 3 दिसम्बर 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में लागू किया जो कि यह अभियान एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान है जिसे सभी विकलांग व्यक्तियों को शामिल करते हुये उन्हें बाधामुक्त वातावरण प्रदान करते हुये स्वतंत्रतापूर्वक जीते हुये पहुँच योग्य परिवेश या वातावरण सहीत समस्त स्थान को अवरोध मुक्त करने का लक्ष्य रखा है । विकलांग या असक्षम व्यक्ति सार्वजनिक भवनों, परिवहन और कार्यालयों में लिफ्टों, रैम्पों और रेलिंग का प्रयोग करते हुये भी पहुँच सकते हैं। इस पहल के अनुसार, सार्वजनिक इमारतों और कार्यालयों का पुर्निर्माण करके उन्हें असक्षम व्यक्तियों के योग्य बनाना हैं। सीढ़ियाँ, जाली, फुटपाथ, रास्तों पर मोड़ या घुमाव, छोटे रास्ते, आदि असक्षम लोगों के लिये बहुत बड़ी बाधाएँ हैं। ये पहल असक्षम लोगों को सामान्य गतिविधियों में शामिल करने के लिये भारत सरकार द्वारा लिया गया एक बड़ा कदम हैं

DANCING WITH DISABILITY

Dr. Aditi Nigam Batra
Assistant Professor, Department of Education
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya Bilaspur

The paper focuses on the Indian dancers with disabilities who have proved that Disability is just a state of mind. Any part of your body or disability doesn't matter much on the path of the pursuance of your passion. These dancers have shown us that dance is something which you

feel from the heart and follow the passion for it blindly. It also stresses that dance had helped these differently abled to recognize, nurture, and enable their hidden potential and talents.

The methodology for this research involves case study, library method and critical analysis. In this paper, I have used the examples of the inspiring dancers who had kept their disability aside and are living their passion. The performances of these dancers helped in asserting the importance of the dance-movement therapy in their life.

Right from the passionate stories of an acclaimed classical dancer and actor Sudha Chandran to the inspiring stories of the differently abled dancers of the Dr. Syed Sallauddin Pasha's group, are dealt within this paper. Dr. Syed Sallauddin Pasha's 'Ability Unlimited' is World first professional dance company to innovate classical dances on wheelchairs for differently abled. It is committed to changing the apathy, negativity and fear that surrounds the education, employment and arts through the specially designed therapeutic education, vocational training and professional dance-theatre performances with innovative methodology. It gives the message of equality, dignity, equal opportunities and full participation to the differently abled dancers so that they can be on the same platform as the non-disabled. The paper also discusses an inclusive dance festival called 'Tandav' held in Bengaluru, India, which offers a platform to Disabled.

The major gain for me while researching this subject has been to recognize that persons with disabilities are valuable human resource for the country and to create awareness about the abilities of differently abled and make people sensitive towards their needs.

दिव्यांगता के प्रकार

डॉ. रीता पाण्डेय
विभागाध्यक्ष इतिहास

डॉ. जया ठाकुर
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र

शास. म.व. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द

शारीरिक दिव्यांगता एक ऐसी समस्या है, जिसमें जीवन की एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं। शारीरिक दिव्यांगताएँ जन्मजात, दुर्घटना या किसी बिमारी के कारण हो सकती हैं। यह गर्भावस्था या व्यक्ति के बचपन में हुई बिमारियों के वजह से भी हो सकती हैं। यह अनुवांशिक भी हो सकती हैं।

शारीरिक दिव्यांगता के प्रकार :–

1. मानसिक मंदता 2. ऑटिज्म 3. सेरेब्रल पाल्सी 4. मानसिक रोगी 5. श्रवण बाधित 6. मूख निःशक्तता 7. दृष्टि बाधित 8. पार्किसस रोग 9. बौना पन 10. चलन निःशक्तता 11. कुष्ट रोग से पीड़ित 12. तेजाब हमला पीड़ित 13. मासपेशी दुर्विकास 14. थैलेसिमिया 15. बौद्धिक निःशक्कता 16. बोलने सुनने में निःशक्तता 17. मल्टीपल स्केलसिस 18. सिकल सेल 19. हीमोफीलिया 20. बहु निःशक्कता 21. स्पेस्फिक लर्निंग डिसएबिलिटीस

मीडिया में दिव्यांगता का चित्रण : एक अध्ययन

डॉ. गोपा बागची
विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर

दिव्यांगता की सार्वजनिक धारणा को बनाने में मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। मीडिया में दिव्यांगों का चित्रण समाज को सीधे–सीधे प्रभावित करता है। आज दिव्यांग लोगों के अपने स्वयं के मीडिया प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के उदाहरण दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, जैसे कि दिव्यांगता मुद्दों पर केंद्रित फिल्म श्रंखला बनाना, रेडियो कार्यक्रम और आसपास डिज़ाइन किए गए पॉडकास्ट बनाना आदि।

आम तौर पर मीडिया दिव्यांग लोगों का चित्रण दया के पात्र के रूप में या फिर उनकी वीरता को चित्रित करता हुआ नज़र आता है। कला, फिल्म, साहित्य, टेलीविज़न और अन्य बड़े पैमाने पर मीडिया फिक्शन कार्यों में उत्पन्न होने वाली दिव्यांगता के रूढ़िवादी चित्रण स्टीरियोटाइप ही अलग–अलग रूपों में दोहराता रहा है. कई बार तो शारीरिक अक्षमता के रूप में दिव्यांगता का चित्रण विरोधी नायक यानी खलनायक के रूप के रूप में किया जाता है। आर्टी अब्राम्स ऑन उल्लास, और "स्टार्स में लिटिल फाल्ट", "किशोर बीमार" आदि कहानियां इसी का उदाहरण हैं।

रूढ़िवादिता कई कारणों से एक संस्कृति में परिवर्तित हो जाती है. जिसे ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्ययनों में दर्शाया गया है. द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद के चित्रों ने समाज को संगठित हो कर दिव्यांगता के प्रति उदार दृष्टि प्रदान करने में मदद की. वर्ष 1990 में, केबल समाचार प्रसारक ब्छछ पर लीड स्टोरी बनने के बाद विकलांगता अधिनियम (।व।) बन पाया. और समाचार निदेशक एड टर्नर ने राष्ट्रपति बुश द्वारा एडीए के हस्ताक्षर करने के लिए सीएनएन के वाशिंगटन ब्यूरो से संपर्क किया। यह अखबार में मुख्य शीर्षक बनाने के बाद संभव हो पाया।

हाल के वर्षों में, कुछ मुख्यधारा के प्रकाशनों और प्रकाशकों ने विकलांगता से संबंधित विषयों के बारे में लेखन और प्रोग्रामिंग को जोड़ा है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर माइकल जे. डॉवलिंग (1866–1921) के प्रयासों के कारण अक्षम लोगों के पुनर्वास की बात सामने आयी।

अमेरिकन डॉक्यूमेंटरी फ़ोटोग्राफ़र टॉम ओलिन और हार्वे फ़िंकलको विकलांगता अधिकार आंदोलन के दस्तावेजीकरण के लिए जाना जाता है. आज रेडियो, अखबार, टीवी और सोशल मीडिया में इस विषय को शिद्दत से उठाया जा रहा है जो दिव्यांगजनों को अधिकार दिलाने में मददगार साबित होगा।

''दिव्यांगजन हेतु कल्याणकारी योजनाएं''

एन.एस. एक्का
सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र)
दाऊ उत्तम साव शासकीय महाविद्यालय, मचांदुर जिला–दुर्ग

शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असामन्य मंद सामर्थ्य वाले व्यक्तियों को दिव्यांग कहा जाता है। पहले ऐसे व्यक्तियों के लिए विकलांग शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये अपनी छैतिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संपन्न करने में न्यूनाधिक अक्षम होते है। चूंकि ये हमारे समाज के अभिन्न अंग है, अतः इनके सहयेाग व विकास हेतु शासन निरंतर प्रयासरत है।

दिव्यांगजन के जीवन को सार्थक व सामर्थ्यवान बनाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का पिटारा खोला गया है। जिसके सर्वप्रथम पं. दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्य जन शिविर का आयोजन जिसमें दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण से लेकर उनको उपकरण व प्रमाण–पत्र जारी करने तक कार्य निशुल्क संपादित किया जाता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, प्रोत्साहन योजना निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को नियोजन प्रदान करने हेतु रेल में यात्रा के दौरान सुविधान प्रदान करने हेतु पृथक से एक बोगी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित की जाती है।

रेल्वे प्लेटफार्म, स्कूलो, महाविद्यालयों में आवागमन की सुविधा हेतु रैंप की व्यवस्था की जा रही है। इन्हे रोजगार प्रदान के लिए 25 लाख व उच्च–शिक्षा के लिए 15 लाख रूपये लोन देने का प्रावधान किया गया है। पं. दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की गई।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, द्वियांग विद्यार्थियों हेतु छात्र गृह योजना, निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना जिसके अंतर्गत दम्पति में से किसी एक के निःशक्त होने पर 50,000 तथा दोनो के निःशक्त होने पर 1,00,000 राशि एक मुश्त प्रदान करने का प्रावधान है। निःशक्त कर्मचारियों के वाहन भत्ता का प्रावधान आदि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

''नेत्रदान एक महादान''

स्नेहा थवाईत
सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र)
शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागढ़, जिला–जांजगीर चाम्पा

प्रकृति ने जीव को दृष्टि हेतु एक ऐसा अमूल्य उपहार "नेत्र" दिया है जिसकी कीमत का आंकलन नहीं किया जा सकता। परंतु असमान्य नेत्र के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति अंधकारमयी

जीवन गुजारने हेतु मजबूर हो जाता है। इसी दृष्टिहीनता के निवारण हेतु नेत्रदान एक पवित्र कार्य माना जाता है।

नेत्रदान मृत्यु के बाद किसी जरूरतमंद को अपनी आंखे देने की प्रक्रिया है। इसके पश्चात् व्यक्ति दोबारा देख सकता है। नेत्रदान अंधकारमयी जीवन में प्रकाश की एक किरण है। व्यक्ति मरणोपरांत नेत्रदान से लाभ उठा सकते है। यह वह प्रक्रिया हैजिसमें मानव नेत्रदान द्वारा दान–दाताओं सेउनकी मृत्यु उपरांत नेत्र ग्रहण कर सकता है। इसमें आंखो की स्वच्छ कार्निया को दृष्टिहीन व्यक्ति को प्रत्यारोपित कर नेत्र ज्योति लौटायी जा सकती है।

वर्तमान में हमारे देश में 1000 व्यक्तियों में 25 व्यक्ति दृष्टिहीन है, इन्हे दृष्टिहीनों को नया जीवन देने हेतु नेत्रदान आवश्यक है। जिससे प्रत्येक मानव इस खुबसूरत दुनिया का नजारा ले सके। यह वह पुण्य का कार्य है, जो चिकित्सकीय सुविधाओं से नेत्रहीन लोगों को रोशनी उपलब्ध कराना संभव बना सका है। नेत्रदान को बढ़ावा देने हेतु प्रतिवर्ष 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस तथा 25 अगस्त से 8 सितंबर के मध्य नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है।

प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आँखे सलामत हो, नेत्रदान कर सकते है। इस अंगदान हेतु निरंतर प्रचार व जनजागरण की आवश्यकता है। ताकि व्यक्ति जीते–जीते रक्तदान व जाते–जाते नेत्रदान के मार्ग में प्रशस्त हो सके। क्योंकि नेत्रदान है एक महादान जो औरों के लिए जीना सीखाता है।

Disability and Rehabilitation : Issues and Challenges

Prof Pratibha J Mishra
Professor , Department of Social Work
Guru Ghasidas University, Bilaspur (C.G)

Disability is an important public health problem especially in developing countries like India. The problem will increase in future because of increase in trend of non-communicable diseases and change in age structure with an increase in life expectancy. The issues are different in developed and developing countries, and rehabilitation measures should be targeted according to the needs of the disabled with community participation. In India, a majority of the disabled resides in rural areas where accessibility, availability, and utilization of rehabilitation services and its cost-effectiveness are the major issues to be considered. Research on disability burden, appropriate intervention strategies and their implementation to the present context in India is a big challenge. Recent data was collected from Medline and various other sources and analyzed. The paper discusses various issues and challenges related to disability and rehabilitation services in India and emphasize to strengthen health care and service delivery to disabled in the community.

Keywords: Challenges, disability, India, issues, rehabilitation services

THE USE OF TECHNOLOGY IN INCLUSIVE EDUCATION

Dr. Jyoti Verma
Assistant Professor, Department of Education
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya (A Central University), Bilaspur

The use of technology in inclusive education helps break the barriers for people with disabilities and provide them with access to the most relevant educational programs. Properly designed software and hardware allow students with individual learning events, enables reaching higher flexibility and differentiation in educational methodologies. With modern technology, teachers can adapt to the possibilities of a particular student with minimum effort and choose one of the dozens of available learning tactics designed to meet the needs of individual learners. A technology competent teacher has the power to provide the optimum support that students with special needs require to participate and learn along with their mainstream peers. Other benefits of technologies include the following: increased independence, personalized learning, better connection with peers, reduced anxiety, easier communication, and improved academic skills etc. Therefore, in this paper author considers how technology can simplify the educational process for people with disabilities and take a look at some software solutions that serve this purpose.

Keywords: Inclusive education, technology integration in inclusive education, and teaching strategies.

भारतीय समाज से दिव्यांग स्त्रियों के प्रति विमर्शोन्मुखी चिन्तन

डॉ. जय श्री सेठिया
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
सोना देवी सेठिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय,
सुजानगढ़ राजस्थान

दिव्यांग, अशक्त, हीनन, लूला, लंगड़ा, अंधा, गूंगा, अपाहिज जैसे शब्द जब भी सुनते है जेहन में एक पीड़ा सी उठती है। पर हमारे समाज ऐसे शब्दों का प्रयोग आम है न किसी को ध्यान जाता है और न कोई इन शब्दों के प्रयोग का प्रतिकार करता है। प्रश्न उठता है कि तब क्या इस तरह के अपमान जनक शब्दों को सामाजिक स्वीकृति दे दी जाए? नहीं कदापि नहीं। कारण कि हम मनुष्य है और जन्म के साथ से ही संवेदनशील व्यक्तित्व हमें प्राप्त होता है। दिव्यांगता कोई उपहार नहीं जो प्राणी जन्म से या कृत्रिम कारणों से उसे अपनाएगा। यह एक ऐसी स्थिति जिसे समाज ने सदैव हेय, उपेक्षित तिरस्कृत, और समस्यात्मक दृष्टिकोण से ही देखा है।

मेरा तो मानना है मानवीय जगत का सबसे बड़ा अभिशाप है दिव्यांगता यह और भी अधिक विकट हो जाता है जब पुरुष वर्चस्व वाले समाज में किसी महिला के साथ हो। इस समाज में स्त्री चाहे शिक्षित, अशिक्षित, सशक्त, अशक्त, गुणी–अवगुणी, कर्त्तव्यनिष्ठ या अकर्मण्य कैसी भी हो हर स्तर पर "खल गुड़ एक भाव" वाली कहावत चरितार्थ करती है। एक स्त्री आज के विमर्श मूलक चिन्तन का केन्द्र बन चुकी है शिक्षा के नित नये आयामों को छू रही है। घर–बाहर अन्तरंग बहिरंग दायित्व बोध को सहर्ष स्वीकार कर रही है लेकिन फिर भी वह है उपेक्षित ही। दोहरी मानसिकता में जीने वाले समाज में समर्थ महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में सम्मानित नहीं है जो असमर्थ महिला के प्रति सम्मान भाव की परिकल्पना ही स्वप्न है।

दिव्यांगो हेतु सरकारी योजनाएँ एवं उनका क्रियान्वयन

प्रो.ताम्रध्वज शुक्ला
सहा .प्रा. समाजशास्त्र

डॉ. शरद कुमार देवांगन
सहा. प्रा. वाणिज्य

डॉ. श्रीमती स्वाति तिवारी
सहा. प्रा. वाणिज्य

दिव्यांगजन समाज में विकास से उपेक्षित एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल अबादी में इनकी जनसंख्या 2.21 प्रतिशत है। सामान्य शब्दों में दिव्यांगता ऐसी शारीरिक अवस्था है जिसमे शरीर भौतिक या मानसिक रुप से पूर्णतः या अंशतः अविकसित रहता है, ऐसा जन्म से या किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है। दिव्यांगजन समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्णभागीदारी अधिनियम 1995 के अनुसार दिव्यांगजन वे व्यक्ति है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो कि वह किसी विकलांगता से न्यूनतम 40 प्रतिशत से पीडित है यह विकलांगता दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मानसिकरोगी, चलनबाधित इत्यादि के रुप में हो सकता है। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य का दिव्यांगजनो के सशक्तिकरण योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2016 एवं 2017 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।

छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा दिव्यांगजन समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के प्रावधानुसार निःशक्त जो के शिक्षण प्रशिक्षण तथा समग्रपुनर्वास के कार्य में संलग्न स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

दिव्यांग छात्र/छात्राओं के समावेशी शिक्षा हेतु छात्रवशत्ति योजनाएँ संचालित है जिसमें विद्यार्थियों को पात्रता एवं कक्षा अनुसार 150 से 190 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। तथा दृष्टिबाधित छात्रों को रु. 100 प्रतिमाह वाचक भत्ता दिया जाता है। कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजनांतर्गत दिव्यांगजनों को कैलीपर्स, ट्रायसिकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, ब्रेलकिट, छड़ी, इत्यादि उनके नियमानुसार/पात्रतानुसार उपलब्ध कराये जाते है।

दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 18 से 45 वर्ष के महिला तथा 21 से 45 वर्ष के पुरुष को जोआयकर की श्रेणी मे नही आता हो, ऐसे दम्पंतियों को विवाह उपरांत 50,000 से 1,00,000 तक प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। दिव्यांगो के लिए इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय पेंशन योजना भी संचालित है।

उच्चशिक्षा तथा सिविल सेवा की तैयारी हेतु दिव्यांगों का प्रोत्साहित करने एवं उन्हे संबल देने के उद्देश्य से "क्षितिज अपार संभावनाएँ" एकीकृत योजना राज्य शासन द्वारा संचालित किया जा रहा है। स्वांवलम्बन कार्ड योजनांतर्गत दिव्यांगजनो को युनिक पहचान पत्र जारी किया जा रहा है, यह पहचान पत्र पुरे भारत में वैध होगा। स्वावलम्बन कार्ड योजना से दिव्यांगजनों की समस्त जानकारी एकीकृत रुप से एक प्लेटफार्म में उपलब्ध होगा तथा उन्हे राज्य और संघ के शासकीय का योग के लिए अलग–अलग प्रारुप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाना नहीं पड़ेगा।

दिव्यांग व्यक्ति जहाँ एक ओर प्राकृतिक पक्षपात के शिकार होते है वही दूसरी तरफ समाज द्वारा उपेक्षित होतें है, इन्हें हाशिये से निकालकर सामाज की मुख्य धारा में लाने हेतु सरकारी योजनाएँ महती भूमिका निभा रही है, परन्तु जब तक जनसमुदाय में दिव्यांगों के लिए सकारात्मक विचारधारा का सृजन नहीं होगा समावेशी विकास का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता।

A journey towards self-confidence among the disabled students of special schools: A study

Mrs Manisha vijayvargiya
Assistant Professor (special Education)
Department of Education
Guru Ghasidas University, Bilaspur

Self refers to the integrated one which is divided into, two units; Internal &External. The relation between these two is often called as Mind & Body relationship. This relation gives birth to the visible action in living being.

When an action gets repeated severally, it gets converted into habit and again these repeated habits become a behaviour .Question arises – What makes these actions specific? What are such behind the determined actions? What are the roles of these actions for the human development? And what they result in? While extracting the answers, it is needed to enjoy a long journey of in depth interpretation, which can be presented as follows-

Development of self–confidence inall humans is a natural phenomenon for his positive survival. It is an individual's characteristic i.e. self-construct which enables a person for keeping his/her view with all positivity, with reality.But, the three sub traits; responsible for the development of self-

confidence ,if distorted, affects the self-confidence. It is unfortunate that in most of the disabled children the state of self-esteem geta badly hampered by the people of society and education, which leads to the development of negative self-concept. Moreover, due to lack of chances, social interaction and low functioning, their self –confidence even go low. Still in many disabled students it is seen that negative motivation works with positive self-esteem and self–efficacy for building the high level of confidence in them. This study discusses about the development of self-confidence, and with all possibilities for generating self-confidence in them.

नेत्रदान : श्रेष्ठदान

डॉ. कल्पना अभिषेक पाठक
सहायक प्राध्यापक (हिंदी)
शासकीय महाविद्यालय कोतरी, जिला–मुंगेली

हमारी दुनिया बहुत ही सुंदर है। प्रकृति का हर रूप निराला लगता है। पर्वत, नदियाँ, समुद्र, हरियाली प्रकृति के ये रूप अनायास ही मन को मोह लेते हैं। पर प्रकृति के इन रूपों का आनंद वे लोग नहीं ले पाते हैं जो जन्म से या किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण अपनी नेत्र ज्योति गवाँ बैठते हैं। यदि हमें कुछ घंटों तक अपनी आंखों को बंद करने को कहा जाए तो हम परेशान हो उठेंगे। जरा सोचिए इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, जो अंधत्व का अभिशाप झेल रहे हैं। वर्तमान समय में चिकित्सा जगत ने बहुत उन्नति कर ली है। अब अंधत्व का इलाज भी संभव है। मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर के अंग दूसरों के जीवन के काम आ सकते हैं। उनमें से नेत्र भी महत्वपूर्ण है। मृत्योपरांत हमारे नेत्रदान से किसी और की जिंदगी की खोई हुई रोशनी वापस आ जाती है तो इससे बड़ा दान और पुण्य और क्या होगा ?

स्वस्थ शरीर मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि उसके किसी भी अंग में विकलांगता आ जाती है तो उसका जीवन कष्टमय हो जाता है और उससे भी अधिक कष्टमय होता है सामाजिक उपेक्षा को सहन करना। विकलांगता से दिव्यांगता शब्द तक पहुँचने में हमने बरसों लगा दिए हैं। अब दिव्यांगों को समाज में उचित स्थान देने में देर नहीं करनी चाहिए । जब तक हम जीवित हैं हमें हमारे आसपास में जो दिव्यांगजन हैं उनकी यथासम्भव सहायता करनी चाहिए। मरणोपरान्त हमारा देह उनके काम आए तो निस्संकोच हमें देहदान करना चाहिए।

नेत्रदान के संबंध में लोगों के मन में कई अंधविश्वास है। इन अंधविश्वासों के कारण वे नेत्रदान के क्षेत्र में आगे नहीं आते। अतः ऐसे अंधविश्वासों को दूर कर हमें लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। मृत्यु के बाद देह को कौन लेकर जाता है ? यह देह जो मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाएगी यदि वो किसी के काम आए तो निश्चित तौर पर ऐसा करने वाला व्यक्ति मरकर भी मानवता के रूप में सदैव जीवित रहेगा।

दिव्यांगो के शैक्षणिक विकास में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका

डॉ. शाहिद अली
विभागाध्यक्ष, जनसंचार एवं समाजकार्य विभाग
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर

उच्च शिक्षा का अर्थ है सामान्य रूप से सबको दी जानेवाली शिक्षा से इतर किसी विशेष विषय की विशद तथा सूक्ष्म शिक्षा। यह शिक्षा के उस स्तर का नाम है जो विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक विश्वविद्यालयों, कम्युनिटी महाविद्यालयों, लिबरल आर्ट कालेजों एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि के द्वारा दी जाती है। प्राथमिक एवं माध्यमिक के बाद यह शिक्षा का तृतीय स्तर है जो प्रायः एच्छिक होता है। इसके अन्तर्गत स्नातक, परास्नातक एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, शोध आदि आते हैं। यह अध्ययन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में दिव्यांग छात्रों की जरूरतों की खोज करने के लिए किया गया है। यह अनुसंधान सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है जिसका उद्देश्य था पुस्तकालय में दिव्यांग शोधार्थियों और विद्यार्थियों के हिसाब से फर्नीचर हैं या नहीं, उनके लिए बुनियादी सुविधाओं की क्या स्थिति है? सूचना सामग्री की स्थिति कैसी है और लाइब्रेरी का माहौल उनके अनुकूल है या नहीं, स्टाफ का रवैया कैसा है? उनकी समस्याएँ क्या है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है या नहीं? पुस्तकालय में ऐसे लोगों की प्रतिशत आवश्त्ति कितनी है? अध्ययन के लिए ये उद्देश्य निर्धारित किए गए थे और साक्षात्कार का उपयोग उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त किया गया है. इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को शामिल किया गया है. दिव्यांग छात्रों को मेडिकल, शैक्षणिक, सुरक्षा, वर्तमान जागरूकता, प्रशिक्षण/सम्मेलन, संगोष्ठी, परिवहन/यात्रा, खेल सुविधाओं आदि के अध्ययन को इस शोध पत्र में शामिल किया गया है.दिव्यांगो के शैक्षणिक विकास में उच्च शिक्षा संस्थानों और पुस्तकालयों की क्या भूमिका हो सकती है यह शोध पत्र उसी को बताता है।

मुख्य शब्दः दिव्यांग, शैक्षणिक विकास, उच्च शिक्षा संस्थान

दिव्यांगता के प्रकार

डॉ. श्यामता साहू
सहायक प्राध्यापक
संत गुरूघासीदास शिक्षा महाविद्यालय
पचपेड़ी, बिलासपुर

सृष्टि का यह अद्भुत आश्चर्य है कि कोई दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, उनमें वैयक्तिक भेद पाया जाता है। कोई व्यक्ति अत्यंत प्रतिभाशाली तो कोई सामान्य और कुछ व्यक्ति तो सामान्य बौद्धिक स्तर से नीचे हुए होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक रूप से सुडौल कुछ

व्यक्ति होते हैं तो कुछ विकलांग। स्वभाव तथा प्रकृति की दृष्टि से भी अन्तर पाया जाता है जैसे सांवेगिक रूप से कोई व्यक्ति अस्थिर होता है तो कोई अपराधी प्रवृत्ति का, वहीं कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो शान्त चित्त के होते हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि समाज में लगभग 68% व्यक्ति सामान्य और शेष 32% दिव्यांग पाये जाते हैं। दिव्यांग बालक वे हैं जो सामान्य से भिन्न हो। सामान्य से उच्च या सामान्य से निम्न दिव्यांग बालक वे हैं जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सामाजिक या अन्य गुणों से भिन्न होते हैं। दिव्यांग गुणों से युक्त बालक को दिव्यांग बालक की संज्ञा देते हैं। दिव्यांगता का तात्पर्य गुणों में भिन्नता है। कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्रों का बौद्धिक स्तर, शारीरिक क्षमता, सांवेगिक परविपक्वता तथा सामाजिक गुणों में उच्च या भिन्न होते हैं। दिव्यांग बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझी जाने वाली वृद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता है और दिव्यांग कक्षा अथवा पूरक शिक्षण व सेवाएँ चाहता है।

दिव्यांग बालकों के प्रकार

शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तथा संवेगात्मक भिन्नता की दृश्टि से दिव्यांग बालकों के निम्नलिखित प्रकार हैं–

1. बौद्धिक दृष्टि से दिव्यांग बालक – (1) प्रतिभाशाली बालक (2) मानसिक रूप से पिछड़े बालक।
2. शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक – (1) श्रवण क्षति युक्त बालक (2) दृष्टि क्षति युक्त बालक (3) बहुल विकलांग, (4) भाषा विकलांग, (5) विकलांगिक बालक।
3. समस्यात्मक बालक– (1) अपराधी बालक (2) सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक (3) सांवेगात्मक रूप से अशान्त।
4. पिछड़े बालक– (1) शारीरिक दृष्टि से पिछड़े बालक (2) मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक (3) संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक (4) शिक्षा के अभाव में पिछड़े (5) सामाजिक दृष्टि से पिछड़े।

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि दिव्यांग बालक वे हैं जो सामान्य बालकों से योग्यताओं और गुणों से भिन्न होते हैं। इनका कक्षा में सामान्य बालकों जैसा व्यवहार नहीं होता है। ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य बालकों से अधिक या निम्न क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, इनकी सन्तुष्टि सामान्य कक्षा में नहीं हो पाती है, अलग दिव्यांग कक्षा या निर्देशन की आवश्यकता होती है।

दिव्यांगता के प्रकार

अनिता यादव
सहा. प्राध्यापक (शिक्षा संकाय)
कमला नेहरु महाविद्यालय कोरबा (छ.ग.)

किसी भी प्रकार का शारीरिक एवं मानसिक दोष जो व्यक्ति विशेष को उसके कार्य की क्षमता को प्रभावित करती है या सीमित कर देती है। उस बाधा को दिव्यंगता कहते है। दिव्यांगता से किसी अंग विशेष की कार्य क्षमता पर अंकुश लग जाता है यह जन्मजात भी हो सकता है और जन्म के बाद वार्तावरण के कारण किसी दुर्घटना के शिकार के कारण भी हो सकता है जिसके कारण बालक व्यक्ति की दैनिक तथा अन्य क्रिया प्रभावित होती है और वे किसी कार्य विशेष को सामान्य तरीके से नही कर पाते है। दिव्यांगता शारीरिक रुप से लोगो से उतना नही छीनती, जितना समाजिक और मनोविज्ञानिक रुप से उन्हे प्रभावित करती है। दिव्यांग व्यक्ति अकसर अपने मानव अधिकार का पूरा–पूरा उपभोग करने से वंचित रह जाता है। एक ही तरह कि दिव्यांगता होने के बावजूद भी यह हर व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित कर सकती है। कुछ दिव्यंगताये ऐसी भी होती है जो बाहर से दिखाई नही देती जिन्हे अदृश्या दिव्यांगता (Invisible Disabiletg)।

दिव्यंगता चिकित्सा एवं उपचार

श्रीमति सविता यादव
सहा. प्राध्या. (शिक्षा संकाय)
एस.डी. महाविद्यालय, मेऊ, नवागड़, जॉजगीर–चांपा

किसी भी क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिऐ अथवा समाज स्वीकृत तरीके से व्यवहार करने के लिये विशेष स्तर की तथा परिपक्वता आवश्यकता होती है यदि किसी कारण से व्यक्ति में उस क्षेत्र सही तथा संतुलित विकास नहीं हो पाता है अथवा वांछित परिपक्वता स्तर की प्राप्ति नहीं होती है तो व्यक्ति उस क्षेत्र न तो सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है और ना ही वांछित व्यवहार का प्रदर्शन ही कर सकता है ऐसे व्यक्ति/बालक को दिव्यंगता के अंतर्गत रखा गया है।

दिव्यंगता के प्रकार :–

1. शारीरिक विकलंगता
2. मानसिक विकलंगता
3. सामाजिक विकलंगता
4. भावनात्मक विकलंगता

शारीरिक विकलंगता की चिकित्सा उपचार (Physical disability trcat ment)

1. **व्यवहारिक थैरेपी** (Bchavioral therapy) – यह एक प्रकार की मनोचिकित्सा होती है जो व्यक्ति में व्यवहार की समस्या को कम करती है।

   यह थैरेपी मनोविज्ञान तरीकों का प्रयोग करके व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और संवाद करने की कौशल को सुधारती है।

2. संज्ञात्मक थैरेपी (Cognitive therapy) – यह थैरेपी व्यवहारिक के विपरित होती है यह व्यक्ति को प्रभावित करने वाली सोच भावनाओं पर केन्द्रित रहती है।

3. शारीरिक थैरेपी (Physical therapy) – यह थैरेपी शरीर की गतिविधि करने की क्षमता संतुलन, तालमेल और ताकत, सहनशीलता को सुधारे व केन्द्रित रखने की कार्य करती है।

4. आक्युपेशनल थैरेपी (Occupatinal therapy) – यह ऐसा उपचार है जो लोगो की जीवन के सारे भागों में सहायक हैं अगर आपके बच्चों को शारीरिक विकलंगता, विकास की समस्या, तालमेल या सोचने की क्षमता की समस्या है तो यह थैरेपी उसमें सहायता करती है।

5. स्पीच थैरेपी (Speech therapy) – यह थैरेपी भाषा या मुँह से बोले वाक्य के तरीकों में सुधार तथा सुनने के कौशल को सुधारने के लिये प्रयोग में लाया जाये।

   अतः कहा जा सकता है कि विकलांगता के कई प्रकार होने के बाद भी भावनात्मक रुप से विकलांग व्यक्ति ही विकलांग होता है।

Problems in Providing Vocational Rehabilitation in India

Dr. Jay Prakash Singh
Assistant Professor

Dr. Sunil Kumar Sain
Assistant Professor

Department of Education
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaaspur

Rehabilitation is a process aimed at enabling persons with disabilities to reach and maintain their optimal physical sensory, intellectual, psychological and social functional levels. It enables persons with disal ties to recognize their strengths and limitations and adjust psychologically and economically to those situations, wherein their abilities have been restricted due to disabilities. It also provides society with a means of regaining economic contributions of the persons with disabilities and reduces the cost of institutional care, etc.

In vocational rehabilitation, persons with disabilities are provided with different kinds of vocational skills leading to economic empowerment. Providing vocational rehabilitation to a large population of persons with disabilities is a herculean task. It is not catching up because of many problems such as absence of training facility in rural areas. So, selection of vocational skills should be done in such a way that they involve local raw materials, etc.

समावेशी शिक्षा

रंजना पूजा यादव
सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र)
फणिकेश्वरनाथ शास. महा. फिंगेश्वर, गरियाबन्द (छ.ग.)

समावेशी शिक्षा, शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्रदान किया जाता है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र व एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इस शिक्षा पद्धति में विशिष्ट बच्चों की छुपी हुई योग्यता को उभारने का प्रयास किया जाता है ताकि वे भी अपनी योग्यताओं का विकास कर देश की उन्नति में अपना योगदान कर सकें। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय न केवल समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर से है अपितु इस बात से भी है कि किसी भी बच्चों को किन्हीं कारणों से समान शिक्षा अर्जन के अधिकार से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है।

जिन मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस शिक्षा पद्धति की नींव रखी गई, वह निम्नानुसार है:–

- सभी बच्चों में विशिष्ट बच्चों (दिव्यांग) की पहचान करना व किसी भी प्रकार की असमर्थता का पता लगाकर उनको दूर करने की कोशिश करना।
- विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना।
- यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित न रह जाए।
- विशिष्ट बच्चों विशेषकर दिव्यांगजनों में जागरूकता की भावना का विकास करना।
- इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि शारीरिक व मानसिक विकलांग बच्चों के अध्ययन अध्यापन हेतु शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, इस हेतु योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- शैक्षणिक संस्थाओं का कर्तव्य होता है कि शहरों से दूर रह रहे ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रावास का प्रबंध करें।

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दीर्घकालिक नीतियों के साथ–साथ सरकारी व गैर सरकारी दोनों प्रयास आपेक्षित हैं।

समावेशी शिक्षा

सुशील कुमार श्रीवास
सहायक प्राध्यापक
संत गुरू घासीदास शिक्षा महाविद्यालय, पचपेड़ी, बिलासपुर

आजादी के बाद से भारत में हुए शैक्षिक व्यवस्था का विकास इस बात की पुष्टी करता है कि भारतीय शिक्षा ने विभिन्न क्षेत्रीय विविधताओं और भिन्न सीमाओं के बावजूद भी समावेशी शिक्षा के लिए उपकरण के रूप में कार्य किया है। समावेशी शिक्षा से हमारा तात्पर्य वैसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें सभी शिक्षार्थियो को बिना किसी भेदभाव के सीखने–सिखाने के समान अवसर मिले है।

वस्तु समावेशी शिक्षा की परिकल्पना पर आधारित है कि सभी बच्चों के विद्यालयी शिक्षा में समावेश व उसकी प्रक्रियाओं की व्यापक समझ की इस कदर आवश्यकता है कि उन्हें क्षेत्रीय सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश और विस्तृत सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं दोनों में ही संदर्भित करके समझा जाए। क्योंकि भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता न्याय एवं व्यक्ति की गरीमा को प्राप्त मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है, जिसका इशारा समावेशी शिक्षा की तरह ही है। हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार विभेद का निषेध करता है और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में बच्चों को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारिरीक एवं मानसिक दृष्टि से विभिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्त्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे लोकतांत्रिक स्कूलों में बच्चों के समुचित समावेश हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके। इस दृष्टि से जब हम समावेशी शिक्षा को देखते हैं तो यह पाते हैं कि समावेशी शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता निम्न प्रकार से हैं –

1. समावेशी शिक्षा अनेक बच्चों के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ, उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है।
2. समावेशी शिक्षा बच्चों व उनके शिक्षा के क्षेत्र में और उनके स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में उनके माता–पिता को भी शामिल करने की वकालत करती हैं।
3. समावेशी शिक्षा संस्थान और अपनेपन की स्कूल संस्कृति के साथ–साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिये भी अवसर प्रदान करती है।

इस प्रकार कुल मिलाकर यह समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की बात का समर्थन करती है। यह सही मायने में सर्व शिक्षा जैसे शब्दों का ही रूपांतरित रूप हैं जिसके कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य हैं – विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा।

दिव्यांगता एवं आत्म विश्वास से भरा सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण से जीवन शैली एक सोच

डॉ युवराज श्रीवास्तव
सहायक प्राध्यापक
डॉ.सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय कोटा, बिलासपुर

दिव्यांगता को एक अभिशाप के रूप में देखा जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों व खिलाड़ियों के भीतर छुपी हुई किसी भी प्रतिभा व गुणों को पहचान कर उसके अंदर विशेष प्रकार की कौशल तकनीक या कुछ कर दिखाने की क्षमता का विकास किया जाय या उसके गुणों की पहचान कर ली जाये या उसको बढ़ाने के मार्ग को उसके जीवन–शैली को एक नया रूप दिया जाये तो उसके जीवन में एक विशेष प्रकार की उपलब्धि बेहतर जीवन एवं उसके सोच में बदलाव लाना उनको सम्मान मिलना उनमें नयी उत्साह एवं परिवर्तन देखने को मिलेगा एवं उसे किसी प्रकार की दया, करूणा, दीनहीन, न समझकर उन्हें हमेशा अपना मित्र, सहयोगी उनके प्रति आत्म सम्मान समझ कर दिव्यांग व्यक्ति या खिलाडी की सहायता करनी व सहयोग कि भावना रखनी चाहिए। अपनी जीवन शैली को बदलने, जिंदगी को सही तरीकों से जीने के लिये हमारी सोच, व्यवहार, जीवन–शैली, सकारात्मक सोच, मानसिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है जिससे की अपने व्यवहार व आत्म विश्वास एवं अच्छे व नये सोच विचार, अच्छा भोजन, व्यक्ति व खिलाडियों के भीतर छुपी हुई काबिलियत का बाहर लोगों के बीच लाना एवं समय का विशेष ध्यान देते हुये रोजाना निरंतर व्यायाम करें। और योगा कर अपनी आत्म–शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें, सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण से व्यक्तियों में सोच हमेशा प्रश्नों के हल खोजने मे होना चाहिए। नकारात्मक सोच को अंधियार समझ कर भूल जाना चाहिए एवं सकारात्मक सोच को नयी सुबह समझ कर अपनाना चाहिए।

दिव्यांगता के प्रकार

श्रीमती संगीता सक्सेना
सहा. प्राध्यापक
डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय, बिरकोना

श्रीमती रसिका लोणकर
सहा. प्राध्यापक
डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय, बिरकोना

दिव्यांगता से अभिप्राय अपंग, असमर्थ, विकलांग या निःशक्तजनों से हैं, जो सामान्य जनों से मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक दृष्टि से भिन्न एवं दोषपूर्ण होते है। सामान्य तौर पर दिव्यांगता को तीन भागों में बाँटा जा सकता है–

दिव्यांगता के प्रकार : 1–शारीरिक दिव्यांगता 2–मानसिक दिव्यांगता 3–संवेगात्मक एवं सामाजिक

दिव्यांगता शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति वे होते है, जिनमें कोई शारीरिक त्रुटि होती है और वह त्रुटि उनके काम–काज में किसी न किसी प्रकार की बाधा डालती है। यह त्रुटि अधिक भी हो सकती है और कम भी। जैसेः– सेरेब्रल पाल्सी, श्रवण बाधित, मूक निःशक्तता दृष्टि बाधित, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग से युक्त, बौनापन, मॉसपेशी दुर्विकास, पार्किसंस रोग, हिमोफिलिया, थेले सीमिया, सिकल सेल डिसीज तेजाब हमला पीडित।

मानसिक दिव्यांगता में निम्न बुद्धि बाले या मंद गति से सीखने वाले व्यक्तियों की गणना होती है। जैसेः– मानसिक मंदता, ऑटिज्म, मानसिक रोगी, बौद्धिक निःशक्तता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऐबिलिटी, मल्टीपल स्कलेरोसिस।

संवेगात्मक एवं सामाजिक दिव्यांगता की श्रेणी में बाल–अपराधी या कदाचारी व्यक्तिय आते है अर्थात् वे व्यक्ति जो संवेगाात्मक एवं सामाजिक रूप से कुसमायोजित हो।

RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT,2016 – A STUDY

VIDHI SHAMBHARKAR
Assistant Professor(Law)
Guru Ghasidas Central University, Bilaspur (CG)

Disability may be generally defined as a condition which may restrict a person's mental, sensory or mobility functions to undertake or perform a task in the same way as a person who does not have a disability. As per the census , a significant population with disabilities in India lives in the rural areas. In rural areas, people with disabilities are ostracized and denied to be included in the society. It is the violation of their human rights, natural rights, inherent rights and fundamental rights. It means this is not justifiable at any situation.The Convention on the Rights of Persons with disabilities is an international human rights treaty of the United Nations intended to protect the rights and dignity of persons with disabilities. Parties to the Convention are required to promote, protect, and ensure the full enjoyment of human rights by persons with disabilities and ensure that they enjoy full equality under the law. The Convention has served as the major catalyst in the global movement from viewing persons with disabilities as objects of charity, medical treatment and social protection towards viewing them as full and equal members of society, with human rights. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 is the disability legislation passed by the Indian Parliament to fulfill its obligation to the united nations convention on the Rights of persons with disabilities , which India ratified in 2007. The Act Replaces the existing persons with disabilities Act,1995. After this Act The types of disabilities have been increased from existing 7 to 21. It includes Speech and Language Disability, Specific Learning

Disability, Acid Attack Victims, Dwarfism, muscular dystrophy. It also included three blood disorders: Thalassemia, Hemophilia and Sickle Cell disease have been added for the first time. It seeks reservation in vacancies in government establishments which has been increased from 3% to 4% for certain persons or class of persons with benchmark disability. In addition benefits such as reservation in higher education, government jobs, reservation in allocation of land, poverty alleviation schemes etc. have been provided for disabilities.In this paper we'll study about the said Act and it's features.

दिव्यांगता एवं आत्मविश्वास : एक अध्ययन

डॉ. सुनील सेन
सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग

विमला कुर्रे
शोध छात्रा, शिक्षा विभाग,

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर

बालक जन्म लेता हैं तो वह परिवार के सम्पर्क में आता हैं जो प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करती हैं तत्पश्चात् विद्यालय के सम्पर्क में आता हैं जो उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती हैं, समाज में भिन्न सक्षमता वाले विद्यार्थी होते हैं, जो शारीरिक मानसिक रुप सें कार्य करने में समर्थ विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी को सामान्य विद्यार्थी कहा जाता हैं तथा ऐसे विद्यार्थी जो शारीरिक मानसिक रुप सें कार्य करने में अक्षम होते हैं, ऐसे विद्यार्थी को असामान्य या दिव्यांग विद्यार्थी कहा जाता हैं। सामान्य विद्यार्थी की अपेक्षा दिव्यांग विद्यार्थियों को हेय की दृष्टि से देखा जाता हैं, प्राचीन काल से ही दिव्यांग वर्ग को उचित सम्मान व अधिकार नहीं दिया गया, ऐसा क्यों? यदि समाज उन्हें उचित अवसर उपलब्ध कराए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें उनकी अक्षमताओं को नहीं क्षमताओं को ध्यान में रखकर उनके विकास के साधन उपलब्ध कराने चाहिए। हेलन केलर के अनुसार–एक दरवाजा बंद होता हैं, तो दूसरा दरवाजा खुल जाता हैं लेकिन अक्सर हम इतनी देर तक बंद दरवाजे को देखते हैं कि खुला दरवाजे का एहसास खत्म हो जाता हैं हेलन केलर जन्मांध थीं, परन्तु उन्होंने अपने भावी जीवन को प्रगति के पथ पर अग्रसर करते रहने पर अपने आत्मविश्वास को एक महत्वपुर्ण साधन माना। दिव्यांगता का जीवन संघर्षमय पथ कंटकाकीर्ण और अधंकारमय होता हैं परन्तु कई ऐसे दिव्याग व्यक्ति हैं, जिन्होनें सफलता के शिखर पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, इसका मुख्य कारण अपनी मानव सुलभ एवं सम्पदा पर विश्वास होना हैं। आत्मविश्वास का पौधा मन में धैर्य संयम एवं चिंतन के खाद् पानी से विकसित होता हैं जब आत्मविश्वास का सुर्य उदित होता हैं तो डर, सकोंच, लोभ, तृष्णा जैसे विकार स्वतः दूर हो जाते हैं।

A Study of awareness and knowledge towards eye donation among Prospective teachers

Priyanka Kewalramani
Assistant Professor

Dr Sonia Sthapak
Assistant Professor

Guru Ghasidas University, Bilaspur (C.G.)

There are so many persons who are unable to see and need corneas to see this beautiful world. There is severe shortage of donor corneas available worldwide for transplantation. It must be because of lack of awareness .So researchers carried out a small study among Prospective teachers to know, Are they aware about Eye donation, as they will be becoming future teachers who can become a better source of information?. Researchers used self made questionnaire consisting of 15 questions related to eye donation ranging from source of information about eye donation. 50 students were selected ,the results were derived through statistical Analysis. The data was collected .There were many students who were not aware about the procedure how to donate? why to donate? exactly. It was found creation of awareness on eye donation can greatly improve eye donors. There must be more and more media campaigns, collaborations with medical personnel, educational session on eye donation. The Eye bank , NGO s, Medical colleges should be linked for advocacy programmes .If teachers are aware they can pass on this information to many and play a great role for this noble cause for giving light to someone.

समावेशी शिक्षा

डॉ. कल्पना सिंह

समावेशी शिक्षा प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें शिक्षा का समावेशीकरण यह बतलाता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्रदान किए जाएँ। इसमें एक सामान्य छात्र, एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता है। समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़े अमेरिका व कनाडा से जुड़ी है। समावेशी शिक्षा को जमीनीस्तर पर लागू करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के विकलांगो की मुख्य श्रेणियों–दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, मूकबधिर, मंदबुद्धि से ग्रसित लोगों को पढ़ाने के लिए अलग–अलग नामों से अंशकालिन शिक्षक–शिक्षिका रखे जाते हैं, जिनका कार्य अपने शिक्षण द्वारा विशिष्ट बच्चों की छुपी हुई योग्यता को उभारना है। समावेशी शिक्षा का अर्थ लोग यह समझते है इसमें सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चों को शिक्षा दी जाती है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य किसी विकलांग बच्चे का बहिष्कार न होकर उन्हें शिक्षित करना है। समावेशी शिक्षा का एक व्यापक लक्ष्य यह भी

प्रतीत होता है कि एक साथ शिक्षित होने पर भविष्य में समाज के अंदर विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्तियों के सरोकारों को आम लोग बेहतर ढंग से समझ सके तथा उनमें उनके प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता का विकास हो सके। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालय चलाना महंगा सौदा है (वो भी विकलांगों की कम से कम पाँच श्रेणियों के लिए) इसलिए समावेशी शिक्षा की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, शारीरिक व मानसिक रूप से अपंग बच्चों को शिक्षित करने हेतु शैक्षिक संस्थाओं व गैर शैक्षिक संस्थाओं को विशेष विषय–वस्तु का निर्माण करना चाहिए तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिससे वे उनके मार्गदर्शन में शिक्षित हो सके। समावेशी शिक्षा अन्य बच्चों को अपने स्वयं के व्यक्तिगत आवश्यकताओं व क्षमताओं के साथ शिक्षा की मुख्यधारा को जोड़ने की बात का समर्थन करती है।

दिव्यांगजनों की सामाजिक समावेश की आवश्यकता

डॉ. श्रीमती सुनीला एक्का
सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र)
शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय–बिल्हा, बिलासपुर (छ.ग.)

सामाजिक समावेश की माँगें वास्तव में समाज द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन है। यह जुल्म और शोषण को समाप्त करने के लिये जरूरी है। दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिये और उन्हें नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों (घर में, समाज में और कार्यस्थल पर) के निर्वहन के लिये अवसर प्रदान करने हेतु उपरोक्त बताई गई बाधाओं को दूर किया जाना जरूरी है।

दिव्यांगजनों की सामाजिक समावेश की आवश्यकता –

- ❖ दिव्यांगों के शक्ति दृष्टिकोण और क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित करने और क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित करने की और उन्हें स्वयं को सशक्त बनाने के लिये प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है।
- ❖ दिव्यांगजनों के लिये विशेषज्ञ और मुख्यधारा की नीति से समर्थित अवसरों तक पहुँच जरूर होना चाहिये, जिससे वे समाज में अपना योगदान दे सके और इससे, चूंकि सम्मान को उनकी क्षमताओं में विश्वास बढ़ेगा, परिणामतः ऐसे लोगों का सामाजिक समावेश की प्रक्रिया आसान हो जायेगी।
- ❖ दिव्यांगजनों में सरकार के समर्थन और सेवाओं के प्रति मनोभावों को बदलने की जरूरत है। उनके साथ समुचित संवाद स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।
- ❖ सभी को अपने स्तर पर दिव्यांगों के जीवन को सहज बनाने व बाधामुक्त और सामाजिक परिवेश के लिये सार्वभौमिक परिवेश अपनाने की आवश्यकता है।

निर्भरता और निम्न आशा की संस्कृति का अंत हो और एक ऐसे समाज की ओर कदम बढ़ाया जाये, जिसमें हम दिव्यांगजनों के लिये सहयोगात्मक नजरिया रखें, उन्हें भागीदार और समावेशी बनाने के लिये उनको मजबूत, सशक्त को समर्थन दें।

Eye Donation : Best Donation

Mr. Senapati Nayak **Smt. Rameshwary Tiwari**

"The eye sees a thing more clearly
In dreams than the imagination awakes."

-Leonardo Da Vinci

"The eye is the window to the world at the
Same time, it is the window of the soul."

-Shakespeare

Can any one live without eyesight just for a day? Maximum of use won't even dare to think so. Because we love to see different kinds of things and explore them. 35 million people are BLIND or going blind in the developing world and most of them can be cured. Out of 3 million corneally blind people 60% are children below the age of 12. Target retrieval of corneas by eye bank of India is 150,000 corneas per year. So if you have God's gift of vision, why not try to pass it on to somebody who doesn't have it donating the eye of a person after death for transplantation, anyone can be a donor irrespective of age, sex, blood group, religion any one with cataract or spectacles can donate eyes. Eye Bank at any time of the day or night, Eyes have to be removed within 4 to 6 hours after death and removed of Eyes take only 10 to 15 minutes, Age is no bar to donate the eyes, Eye Banks come under Human Organ Transplantation ACT (1994). Cnly the person who infected by diseases like viral Hepatitis, Liver disease, Blood Cancer, T.B, Brain Fever, AIDS, less Visual eyes, Lens and retina related disease, Cataract, etc cannot be donating or transplanting eyes. At present there are 150's more eye bank in our country. Eye donation progran s are running successful in our country states like Mumbai, Delhi, Gujrat, Madrash, Nawa ari. Medical Students and specially the religious leader can be motivated to work together to educate and motivate people to donate eyes. Continuous awareness programs giving adequate scientific knowledge about the eye donation and encouragement are required to establish the dream of "No Blindness because of corneal diseases"

If we the people promoting the above mentioned HOLY work then surely we can give for somebody a light, a life and a happiness for those who have lost their eyes, because No Donation is bigger than the eye donation as bigger in a life.

'EYE DONATOIN IS THE BEST DONATION'

दिव्यांगजनों का सामाजिक पुनर्वास समाज की सकारात्मक भूमिका अपेक्षित

डॉ. संगीता परमानंद
कोरबा

अस्थि, दृष्टि, मूक श्रवण एवं मानसिक निःशक्तता के अलावा विगत वर्ष सोलह प्रकार की अन्य श्रेणियॉं भी दिव्यांगता के अन्तर्गत शामिल की गई है। चैन्नई, कटक, देहरादून मुंबई एवं कोलकाता सहित कुल छः राष्ट्रीय संस्थान दिव्यांगता की इन श्रेणियों हेतु कार्यरत है। सहायक उपकरण वितरण, स्वरोजगार हेतु कम ब्याज दर पर ऋण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, विशेष विद्यालय, छात्रवृत्ति, शल्य क्रिया, आयकर में छूट, सेवाओं में आरक्षण, यात्रा में छूट, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय न्यास की स्थापना जैसी अनेका अनेक सरकारी योजनाएं दिव्यांगो के हितार्थ संचालित है। योजनाओं के क्रियान्वयन एवं तदनुरूप लाभ से संबंधितों का शैक्षणिक, आर्थिक, व्यवसायिक पुनर्वास तो अवश्य संभव हो जाता है भले ही न्यूनता लिए किन्तु सामाजिक पुनर्वास के लिए सरकारी योजनाओं की अपेक्षा हमारी अर्थात समाज की भूमिका एवं सक्रियता ही सर्वोपरी है।

दिव्यांग एवं दिव्यांगता शब्द आते ही सामाजिक मुख्यधारा में इन्हें शामिल करने के वक्तव्य, गोष्ठियाँ, आलेख एवं तर्क अनायास प्रकट होने लगते है। तात्पर्यतः समाज स्वयं इन्हें मुख्यधारा से भिन्न स्वीकार रहा है, किन्तु दुर्भाग्यवश सम्मिलन के ये विमर्श कुछ घंटो की मंचीय समयावधि तक ही सीमित होकर रह जाते है। मात्र दया, सहानुभूति अथवा करूणा का सामाजिक सरोकार नहीं अपितु मुख्यधारा में वास्तविक विलयन एवं अभिन्नता तो परिवार स्थापन से ही संभव हो सकेगी। जिसकी प्रथम एवं अनिवार्य अर्हता यानि विवाह। सभी अन्य पुनर्वास के साथ दिव्यांगजनों का भी विवाह अन्य सामाजिक सदस्यों सदृश सहज, सरल संभव हो, उसका भी अपना परिवार बसे एवं समाज की प्रथम इकाई यानि परिवार के रूप में वह भी समाज में स्थापित हो सके। निर्विवाद कटु सत्य ही है कि दिव्यांग कन्याओं का विवाह वर्तमान में भी टेढ़ी–खीर ही साबित हो रहा है। अन्य पुनर्वास की संभवता के साथ वे परिवार के लिए आय अर्जन का स्त्रोत (फडिंग एजेंसी) ही साबित हो रही है, किन्हीं मामलों में एकमात्र अर्जिका। वहीं दिव्यांग युवकों का विवाह प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक होने के साथ इनके लिए सामान्य सकलांग कन्याएँ भी सहज सुलभ हो जाती है। अलग अलग समाजों द्वारा संचालित मैरिज ब्यूरो अवश्य इस टेढ़ी–खीर को सहज सामान्य बनाने महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है।

अनेक दिव्यांगजन (विशेषतया मानसिक) स्वपरिवार में ही उपेक्षित एवं स्नेह अपनत्व विहिन पराया सा जीवन व्यतीत कर रहे है। पारिवारिक उपेक्षा एवं अस्वीकार्यता के समक्ष समाज एवं सामाजिक अपेक्षा एवं समरसता तथ्यहीन ही है। निश्चित तौर पर दिव्यांगजनों का जीवन जीवनचर्या एवं शैली सकलांगों से कई गुना संघर्षमयी, जद्दोजहदयुक्त एवं पृथक है किन्तु संस्कार, संगोपण, शिक्षा एवं नैतिक मूल्यों के प्राथमिक सोपान तो अन्य संतानों सदृश दिव्यांग को भी आत्मीयतापूर्वक मिलना चाहिए। आखिरकार प्रोत्साहन की संजीवनी घूटी जो असंभव को भी संभव करने का जज्बा, जुनून उत्पन्न करती है, परिवार से ही मिल सकती है और यही जज्बा ही तो संघर्ष पथ पर अग्रसरता हेतु प्रेरित कर लक्ष्य प्राप्ति में मददगार होता है। प्रत्येक निःशक्त में ईश्वर प्रदत्त दिव्यगुण जो उसे साधारण से भिन्न कर असाधारण बनाता है, अवश्य विद्यमान रहता है। गुणों की यही असाधारणता, दिव्यता जिसे सामाजिक शब्दावली हुनर, कौशल, प्रतिभा अथवा विधापारंगता रूप में परिचित करती है, को तराशने भी जौहरी की अहम् भूमिका होती है। जो न केवल इस पाषाण (हीर रूपी) को तराशे अपितु इसका दिव्य आलोक सम्पूर्ण समाज को भी अनुभव करा सके ताकि समाज भी इस दिव्य आलोक से आलोकित हो समरसता के साथ प्रकाशित हो। परिवार (मुख्यतया अभिभावक) एवं क्रमशः समाज निश्चित तौर पर एक सार्थक, सफल एवं यशस्वी जौहरी साबित हो सकते हैं। अवसर, मंच, प्रदर्शन एवं अभिव्यक्ति परिवेश निर्मित हमारे यानि समाज द्वारा ही सुलभ संभव है। अवसरों की उपलब्धता एवं बारंबारता समाज एवं दिव्यांग के मध्य एक जैसी बेजोड़ कड़ी निर्मित करेगी जिसमें दोनों ही एक ही धारा के अभिन्न पक्षधर होंगे।

दलित, स्त्री, दहेज, भ्रूण हत्या आदि पारम्परिक विषयों के अलावा वर्तमान संदर्भित तमाम अनेक विषय, मुद्दे परिवार, समाज, राज्य एवं राष्ट्र में विमर्शणीय रहे एवं अनवरत है। स्वाभाविक तौर पर प्रगतिपरक संचार की सक्रियता भी इस विमर्श की एक अहम अभिन्नता है। सामाजिक विमर्श में आने से इन विषयों के मूल स्वरूप के साथ ही इनके कारण, निदान, कानूनी पक्ष, समाज की भूमिका, व्यक्तिपरक योगदान, सरकारी हस्तक्षेप, अर्थात प्रत्येक पहलू पर विचार, मंथन, परिचर्चा, गोष्ठियाँ, सृजन, आरोप–प्रत्यारोप, जनजागरण होते रहे किन्तु दिव्यांगता को सदैव ही परिवारगत और उससे भी ज्यादा व्यक्तिगत मुद्दे के रूप में ही स्वीकार किया गया। जागरूकता से इंकार तो नहीं किन्तु अपेक्षित आज भी प्रतीक्षित है। दुर्भाग्यवश स्त्री विमर्श में दिव्यांगता का तात्कालिन एवं वर्तमान में भी रिक्त स्थान ही है। मानसिक निःशक्तता और स्त्री जीवन सामाजिक सरोकार से अस्पृष्य एक बिलकुल ही अविमर्शणीय विषय रहा है। सोशल मीडिया के साथ ही सम्पूर्ण स्त्री शक्ति की उल्लेखनीय भूमिका न केवल अपेक्षित अपितु सामाजिक पुनर्वास की दिशा में नींव का पत्थर साबित होगी ।

समावेशी शिक्षा

डॉ. रम्भा कुमारी
व्याख्याता
करीम सिटी कॉलेज, जमशेदपुर

दिव्यांगता शारीरिक रूप से लोगों को उतना कष्ट नहीं देती जितना सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें प्रभावित करती है। दिव्यांग व्यक्ति अक्सर अपने मानवाधिकार का पूरा–पूरा उपयोग करने से वंचित रह जाता है। दिव्यांग बालकों की स्थिति सामान्य बालकों से भिन्न होती है इसलिए सरकार ने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू की है जिससे दिव्यांग बालकों को विशेष प्रावधानों एवं सुविधाओं से शिक्षा दी जाए ताकि वे परिवार और समाज द्वारा उपेक्षित न हो सकें।

समावेशी शिक्षा वह शिक्षा व्यवस्था है जिसके माध्यम से विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे–मंदबुद्धि बालक, दृष्टि बाधित बालक, श्रवण बाधित बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक स्तर की जाँच की जाती है, तत्पश्चात् उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु ही निर्धारित की जाती है। अतः इसे समेकित अथवा समावेशी शिक्षा कहा जाता है।

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता

1. शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के लिए।
2. मानसिक रूप से विचलित बालकों के लिए।
3. सामाजिक रूप से विचलित बालकों के लिए।
4. शैक्षिक रूप से भिन्न बालकों के लिए।
5. सामाजिक एकीकरण के लिए।
6. शैक्षिक एकीकरण के लिए।

समावेशी शिक्षा के सिद्धांत

1. व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा।
2. भेदभाव रहित शिक्षा।
3. विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा।
4. नियंत्रणपूर्ण वातावरण।
5. विशिष्ट कक्षाएँ।
6. माता–पिता द्वारा सहयोग।

किसी भी शिक्षा प्रणाली का निर्धारण प्रायः बालकों की बुद्धिलब्धि, शैक्षिक योग्यता तथा शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक उसी प्रकार समावेशी शिक्षा का निर्धारण भी छात्रों की बुद्धिलब्धि, शैक्षिक स्तर व योग्यताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। सरकार द्वारा लागू किया गया है यह शिक्षा पद्धति दिव्यांग बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इससे वे अपने मानवाधिकार का सही प्रयोग कर सकते है और समाज से जुड़ सकते हैं।

A study on functional improvement in Cerebral palsy effected disabled children with various Ayurveda modalities.

Dr. Vidya Bhushan Pandey
(M.D. Balroga)Lecturer,
Department of Kaumarbhritya (Ayurved Pediatrics)
Government Ayurved College and Hospital, Bilaspur

Dr. Shweta Pandey
(BAMS, CCP) Ayurved Medical Officer
Government Ayurved Dispensary
Manikchauri , Bilaspur

Cerebral palsy(C.P.) being a major cause of childhood disability having an incidence of 1.5 to 4 per 1000 live births is emerging as a new problem for our society. Our fully equipped medical world is still lacking a proper cure and prevention in this field on the contrary its incidence is slowly increased since last century. It is considered as a group of disorders due to a non-progressive lesion inside the brain. Cerebral palsy is characterized by spasticity, paralysis and abnormal control of movement. There is lack of proper co-ordination and balance which further leads to secondary manifestations like contracture and bone deformities. These umbrella symptoms results into a disabled and deprived child. Proper management of Cerebral palsy is still not established; patient has to go for exhausting sessions of physiotherapy along with regular use of some drugs to relieve spasticity having potential side effects. Children with C.P. grows up gradually to become an adult with a title of a handicap resulting into a social negligence with disability stigma. Keeping this in mind the ultimate goals of Cerebral palsy management should be focused on mobility, independence and social participation along with functional improvement. Ayurveda has proved itself as a remedy of various neurological and musculoskeletal disorders with various drugs and Panchkarma therapies. In Ayurveda Cerebral Palsy is managed as a Vata Vydahi having raised or malfunctioned Vata karmas. Various Ayurveda drugs like Ashwanadha, Tagar, Shigru, Shankhpushpi along with Panchkarma modalities such as Abhyanga, Shasti Shali Pinda Sweda and Matra vasti help in pacification of Vata dosha which results into successful improvements in various fields of Cerebral palsy affected children.

Keywords – Disability, Handicap, Panchakarma and Ayurveda.

Preparing Teachers for Inclusive Classrooms

Dr. Sambit K Padhi
Department of Education
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur,

In recent years, momentum has been gathering to provide education to everyone regardless of their locality , background and disability. Government has also been putting enormous efforts at providing good quality education and a community based education for all. India is country which is known for its unity in diversity. One of the significant features of our Indian classrooms is the learners' diversity. Over the years, the policy of inclusive education has become an important part of all the initiatives taken by the Government of India for the education of children and has gradually replaced the earlier movement of integrated education. Inclusion is an educational approach providing students with special needs with education in normal classrooms, which is the least restrictive educational environment for them by offering the necessary services for full time or part time. The term 'inclusive education' is a step ahead of integrated education in that, it goes beyond children with disabilities and refers to an education system that inclusion is not confined to the disabled It also means non-exclusion. Effective inclusion is effective for all students. Teacher preparation for effective teaching in inclusive settings is the need of the hour. It is widely accepted that professional development workshops and seminars on special and inclusive education would improve the knowledge of in-service teachers and enhance the qualification of the inclusive practices. In order to meet the extreme needs of the students with disabilities in general education classrooms, it is felt that there need to be collaboration between general and special education teachers also.

SPECIAL EDUCATION TODAY IN INDIA

Madan jha & Archana Kerketta

Similar to Asian countries, the early origins of special education in India started with Christian missionaries and nongovernmental agencies which stressed a charity model of serving populations such as the visually, hearing, and cognitively impaired. However after its independence from Great Britain in 1947, the Indian government became more involved in providing educational, rehabilitation, and social services. Thus over the past four decades, India has moved gradually toward an inclusive education model. This chapter discusses the implementation of such a model related to the prevalence and incidence rates of disability in India as well as working within family environments that often involve three to four generations. Also included are challenges that an inclusive education system faces in India, namely, a high level of poverty, appropriate teacher preparation of special education teachers, a lack of binding national laws concerned with inclusive education, a dual governmental administration for special education services, and citizen's and special education professionals strong concern about whether inclusive education practices can be carried out.

Keywords : Asian. Christian and India

Physical Impairment: Challenges and Impact on Person

Dr.Archana Yadav **Deepika Pandey**

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur Chhattisgarh

Abstract: Impairment is understood as a state of being diminished, weakened or damaged especially mentally or physically, where as physical impairment may be understood as the limited/weaker/damaged physical capacity restricting to work or perform normally in life. Person with physical impairment of any type as visual, hearing or speech faces different challenges and go through various problems in day to day life, which emerges from childhood and accelerate due to family and societal attitude. Education is the main agenda where such children are isolated and are bound to continue through special education means. To acquaint and mainstream them special education is mechanism designed and developed to meet the specific requirement of such population. When a person is differently able or has any impairment he or she undergoes through lot of conflicts and inferiority and if the supportive mechanism to facilitate such population are not adequately fulfilling the special needs the complex or the problem accelerates. This paper explores the special education curriculum and attempt to understand the degree of special need adherence of physically impaired student in higher education. What are the contemporary developments essential for advancement of knowledge in this stream the paper attempts to find out.

Key words: Physical, impairment, challenges, impact, special education.

दिव्यांगों के प्रति हमारी दृष्टि और कर्तव्य

सीमा ठाकुर
कार्यक्रम समन्वयक
पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

दिव्यांगता एक बडी चुनौती है, इसी कारण परिवार के सदस्य उसे बोझ समझने लगते है। दिव्यांग व्यक्ति वह होता है, जिसके शरीर का कोई अंग या तो जन्म से नहीं होता है या उसका अंग स्वस्थ न होकर दोषपूर्ण होता है, जैसे अंधों, गुँगे बहरों, कोढियों, लूले लंगडों कुछ ऐसे भी होते है जिनके शरीर के अंग तो सामान्य और स्वस्थ होते है, सुचारू ढंग से काम करते हैं परन्तु उनमें मानसिक विकृति होती है, उनका बौद्धिक विकास अधूरा रहता है।

दिव्यांगों का दूसरा वर्ग वह है जिसमें व्यक्ति जन्म से तो स्वस्थ होता है, उसके शरीर में सब अंग सामान्य व्यक्तियों के समान होते हैं पर किसी दुर्घटना के कारण वे अपंग हो जाते

हैं। दिव्यांगता का तीसरा कारण है– अंधविश्वास, जैसे चेचक निकलने पर माता का प्रकोप मानकर समुचित इलाज नहीं कराया जाता और उसकी आँखें चली जाती है।

आज के युग में व्यक्ति में अस्मिता का, आत्मसम्मान का भाव जगा है। किसी को दया, कृपा, करूणा का पात्र, दीन–हीन न समझकर उन्हें अपना मित्र, सहयोगी समझकर उनकी सहायता करनी चाहिए, उन्हे आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उनके साथ सहृदयता, सहानुभूति और सहयोग का आचरण करें, उनके पुर्नवास के लिए हर संभव उपाय करें। यह कार्य व्यक्ति समाजसेवी संस्थायें और प्रशासन तीनों कर सकते है।

दिव्यांगता को रोकने हेतु हमारा कर्तव्य है कि हम चिकित्साशास्त्र का सहयोग लें, तथा पोलियो, चेचक, खसरा, हैपेटाइटिस आदि रोगों के टिके समय रहते बचपन में ही लगवा दिये जाये तो इन रोगों से बचा जा सकता है। दिव्यांगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर और कुण्ठारहित किया जा सकता है। दिव्यांगों के लिए दिव्यांग प्रशिक्षण केन्द्र, दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र और खोले जायें। दूसरे अर्ध सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण होना चाहिए। समाज का कर्तव्य है कि वह दिव्यांगों को तिरस्कार, घृणा की दृष्टि से न देखें, उसके प्रति सहृदयता, सहानुभूति का व्यवहार करें। उनके आत्मसम्मान के भाव को ठेस न लगने दे– उसके साथ मित्रता, सहयोग का आचरण करें।

जीवन का अमूल्य वरदान : नेत्रहीन को नेत्रदान, नेत्रदान - महादान

कमलेश साहू
पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

नेत्र दुनिया की सबसे खुबसुरत चीज है, हमारे आसपास की हर वस्तु में एक अलग प्रकार की सुंदरता छिपी होती है। जिसे देखने के लिये अलग नजर की आवश्यकता होती है। विश्व की सभी वस्तुओं को देखने के लिये आखों की आवश्यकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑखों के बिना दुनिया की कल्पना कैसी होंगी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, दुनियाँ की सारी खुबसुरती आँख के बिना कुछ नहीं है। अगर आप कुछ समय तक आँख पर पट्टी बांध ले तों कैसा लगता है। कुछ समय में ही आँखों में अंधेरा छा जाता है। आँख के बगैर हम एक पग भी नही चल सकते है। इसीलिये इंसान अपनी आँखों की सुरक्षा में विशेष ध्यान देता है। इस दुनियाँ में कुछ लोग ऐसे है जिसे भगवान ने उनके जीवन में अंधेरा लिखा हैं। कुछ लोगों की जन्म से ही आँख नही होती है और कुछ लोग दुर्घटना या अन्य कारणों से अपनी आँख गवाँ बैठते है। आँखें हमें सिर्फ रोशनी देने के अलावा दूसरों के जीवन में रोशनी देती है। दुनिया भर में नेत्रहीनों की संख्या बहुत अधिक है। जिनमें से कई तो जन्मजात ही नेत्रहीन होते है।

नेत्रों की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन के लिये सबसे अधिक है। नेत्रों की महत्ता का पता हमें तब चलता है जब हम नेत्रहीन व्यक्ति की क्रियाओं को देखते है। नेत्रहीन व्यक्ति को मार्ग पर चलना तो दूर घर पर चलने–फिरने में भी असुविधा होती है। नेत्रहीन व्यक्ति को हर समय किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। हमारे सभी धर्मों में दया, परोपकार जैसे मानवीय भावनाएँ दिखाई देती है। हम अपने नेत्रदान करके मरणोपरांत किसी की निष्काम सहायता कर सकें तो हम अपने धर्म का पालन करेंगे और क्योंकि इसमे कोई भी स्वार्थ नही है इसलिये यह महादान माना जाता है।

नेत्रदान की प्रक्रिया मृत्यु के कुछ घंटों के अंतराल में की जाती है। इससे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। मृत व्यक्ति के नेत्र को दो–नेत्रहीन को दे दी जाती है जिससे कि नेत्रहीन के जीवन में उजाला हो जाता है। नेत्रदान करने के लिये आप किसी अस्पताल में पंजीयन करा सकते है।

इस नेत्रदान के महत्व को आगे बढ़ाने के लिये 10 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिहीन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

मरता है शरीर, अमर है आत्मा।
नेत्रदान से मिलता है, स्वयं परमात्मा
– नेत्रदान ही श्रेष्ठदान है –

INDIA, FAMILIES, AND A SPECIAL SCHOOL

Archana kerketta & Madan jha

Families in India face many challenges in caring for and educating their children with disabilities. India has enacted a landmark special education law, Persons with Disabilities Act of 1995, which provides schooling and services to all children. For some students with disabilities, however, integrated and special schools are providing schooling. This paper highlights one school, the Bethshan Special School, a private day-school for students with intellectual disabilities. At Bethshan, teachers provide quality academic instruction and job readiness skills for a range of children and young adults, as well as support programs for parents. Concluding this brief examination, several challenges and positive directions for Indian special education and teacher preparation are highlighted.

Keywords : Special education, India, special schools, families

मानसिक दिव्यांगता को दूर करने के कारगर उपाय

शेख मजहर अली
समन्वय सहायक
पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

मानसिक दिव्यांगता एक व्यापक विकृति है, जो 18 वर्ष की आयु से पहले दो या दो से अधिक रूपांतरित व्यवहारों में और महत्वपूर्ण रूप से संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विकार और न्यूनता के रूप में दिखता है। मानसिक दिव्यांगता के संकेत और लक्षण ये हैं कि ऐसे बच्चे जो देर से बैठना, घुटनों के बल चलना और पैरों पर चलना या बोलना सीख पाते हैं। इनमें स्मशति कौशल की न्यूनता, सामाजिक नियमों को सीखने में कठिनाई, समस्या का हल करने के कौशल में कठिनाई, स्वयं–सहायता या खुद अपनी देखभाल करने की क्षमता जैसे कौशल के अनुकूल व्यवहार के विकास में देरी, सामाजिक निषेध का अभाव होता है। औसत मानसिक दिव्यांगता (आईक्यू 35–49) लगभग जीवन के पहले साल के भीतर स्पष्ट होती है। औसत मानसिक दिव्यांगता वाले बच्चों को विद्यालय, घर और समुदाय में काफी समर्थन की आवश्यकता होती है, ताकि वे उन जगहों पर पूरी तरह से भागीदारी कर सकें। वयस्क के रूप में वे एक सहायक सामूहिक घर में अपने मां–बाप के साथ रह सकते हैं या महत्वपूर्ण सहायक सेवाओं के जरिये उनकी मदद की जा सकती हैं, जैसे उनका वित्तीय प्रबंधन. मानसिक दिव्यांगता में डाउन सिंड्रोम, घातक अल्कोहल सिंड्रोम और फर्जाइल एक्स सिंड्रोमये तीन सबसे आम जन्मजात कारण होते हैं। हालांकि, डॉक्टरों को कई अन्य कारण भी मिले हैं। जैसे– गर्भावस्था के दौरान समस्याएँ कुछ खास तरह के रोग या विषाक्तता, आयोडीन की कमी, कुपोषण आदि। हमें ऐसे लोगों के साथ सहयोग की भावना रखनी चाहिये ताकि समाज में उन्हें दीन–हीन न समझ कर सम्मानित जीवन जीने का अवसर मिल सके।

दिव्यांगता और मनोविज्ञान

अभिनंदन कर्माकर
कार्यक्रम समन्वयक
पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

प्रतिवर्ष 3 दिसंम्बर का दिन दुनियाभर में दिव्यांगों की समाज में मौजूदा स्थिति उन्हें आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करने तथा सुनहरे भविष्य हेतु भावी कल्याणकारी योजनाओं पर विचार विमर्श करने के लिये जाना जाता हैं, दरअसल यह संयुक्त राष्ट्र संघ की मुहिम का हिस्सा हैं, जिसका उदेद्श्य दिव्यांगजनों को मानसिक रूप से सबल बनाना तथा अन्य लोगो में उनके प्रति सहयोग की भावना का विकास करना है।

मेडिकल कारणों से कभी–कभी व्यक्ति के विशेष अंगो में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें समाज में विकलांग की संज्ञा दे दी जाती हैं, और उन्हें एक विशेष वर्ग के सदस्य के तौर पर देखा जाने लगता है, आमतौर पर हमारे देश में दिव्यांगो के प्रति दो तरह की धारणाएँ देखने को मिलती हैं, पहला यह कि जरूर इसने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, इसलिये उन्हें ऐसी सजा मिली हैं और दुसरा की उनका जन्म ही कठिनाइयों को सहने के लिये हुआ हैं, इसलिये उन पर दया दिखानी चाहिये, हालॉकि यह दोनों धारणाएँ पूरी तरह बेबुनियाद व तर्कहीन है।

देखा जाये तो भारत में दिव्यांगों की स्थिति संसार के अन्य देशों की तुलना में थोड़ी दयनीय ही कही जायेगी, दयनीय इसलिये कि एक तरफ यहाँ के लोगों द्वारा दिव्यांगों को प्रेरित कम हतोत्साहित अधिक किया जाता है, और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, जैसे वे समाज में स्वीकार्य योग्य ना हों, इसके स्थान पर मनोवैज्ञानिक रूप से दिव्यांगो को घर परिवार वालो द्वारा मानसिक सहयोग देना, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करना, वे भी मानव हैं, वे भी सामान्य लोगों की तरह अपने माता पिता, समाज व देश का नाम रोशन कर सकते है, ऐसा उनसे समानता का व्यवहार रखना, एवं उन्हें ऐसा स्वच्छ माहौल देना, जहाँ उन्हें क्षणिक अनुभव ना हों, कि उनके अंदर शारिरिक रूप से कुछ कमी भी है।

Assistive Devices for Persons with Disabilities

Vikas Gupta **Bijaylaxmi Mohanta** **Upama Bag** **Niman Binko Back**

Student, B.Ed. Special Education (Learning Disability) IV- Semester,
Department of Education, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaaspur, C.G.

Often, for persons with disabilities, accomplishing daily tasks such as talking with friends, going to school and work, or participating in recreational activities is a challenge. Assistive Devices are tools to help to overcome those challenges and enable persons living with disabilities to enhance their quality of life and lead more independent lives. Assistive devices can be anything from a simple (low-tech) device. such as a magnifying glass, to a complex (high-tech) device, such as a computerized communication system. It can be "big"— an automated van lifts for a wheelchair — or "small" — a grip attached to a pen or fork by Velcro. It can also be a substitute — such as an augmentative communication device that provides vocal output for a child who cannot communicate with her voice.

Assistive device help to level the playing field for persons with disabilities by providing them a way to fully engage in life's activities. An individual may use assistive device to travel about, participate in recreational and social activities, learn, work, communicate with others, and much more.

विशेष शिक्षा में आई.सी.टी. की भूमिका

आकांक्षा गुप्ता
सहायक प्राध्यापक, शिक्षा अध्ययनशाला

प्रीती साहू
सहायक प्राध्यापक

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

विशेष आवश्यकता वाले लोगों की शैक्षिक आवश्यकताएं काफी हद तक विविध हैं। एक ओर, उन्हें अपने साथियों के सामान, उस समाज में आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करना हैं जिसमें वे रहते हैं। दूसरी ओर, उनके पास कार्यात्मक सीमाओं के कारण अतिरिक्त मांगें होती हैं जो शिक्षार्थियों के शिक्षण के मानक शैक्षणिक तरीकों तक पहुंचने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, इसलिए शैक्षिक प्रगति को रोकती हैं। इस संदर्भ में, आईसीटी प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। आईसीटी को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में पेश किया गया है ताकि पाठ्यक्रमगत परिवर्तन में गुणवत्तापूर्ण सहयोग दे सके और नए शिक्षण अनुभवों को बेहतर बनाया जा सके। इस तरह से विकलांग छात्रों सहित विभिन्न सीखने वाले समूहों की विशिष्ट सीखने की जरूरतों को पूरा करना संभव है। आईसीटी के विशिष्ट अनुप्रयोग अत्यंत विविध और विभिन्न हैं। प्रतिपूर्ति के लिए आईसीटी का उपयोग एक तकनीकी सहायता के रूप में नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग है जो छात्रों को विशेष आवश्यकताओं के साथ बातचीत और संचार की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने की अनुमति देता है: यदि किसी व्यक्ति के पास शारीरिक विकलांगता है तो उसे लिखने में मदद की जा सकती है, या दृष्टि बाधित व्यक्ति को पढ़ने के लिए। इस दृष्टिकोण से, आईसीटी छात्रों को अपने वातावरण को नियंत्रित करने, अपने अनुभवों के बारे में विकल्प बनाने, समस्या-समाधान का समर्थन करने, जानकारी प्राप्त करने की क्षमता विकसित करता है, जिससे तत्काल वातावरण और दुनिया भर में दोनों के साथ संचार में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में, प्रौद्योगिकी प्राकृतिक कार्यों की कमी को दूर कर सकती है या प्रतिस्थापित कर सकती है। समावेशन के लिए आईसीटी का उपयोग शैक्षिक दृष्टिकोण के परिवर्तन का शुभारंभ किया है। आईसीटी अनुप्रयोग विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं के साथ छात्रों के लिए नए शिक्षण और मूल्यांकन रणनीतियों की एक किस्म लाता है। समावेशी उपकरण के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए उपयुक्त हैं। व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के लिए, समावेशी पाठ्यक्रम के भीतर शैक्षिक पहल का उद्देश्य किसी व्यक्ति की अद्वितीय आवश्यकताओं, मतभेदों और क्षमताओं को पूरा करना होगा; इसलिए उन्हें उचित गति से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्थित होना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें शामिल करने के लिए एक मूल्यवान संसाधन बन जाएगा। संचार के लिए आईसीटी प्रौद्योगिकियां विशेष आवश्यता वाले लोगों के साथ संचार को मध्यस्थ कर सकती हैं। निश्चित संचार कठिनाइयों वाले छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक उपकरण और सॉफ्टवेयर हर विकलांगता के लिए विशिष्ट हैं। हम एक संसाधन के रूप में कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं जो संचार को आसान बनाता है और संचार संभव बनाता है, संचार विकारों वाले व्यक्ति को अपनी क्षमता को अधिक सुविधाजनक तरीके से प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, साथ ही शारीरिक और संचार संबंधी विकार वाले लोग को संचार शुरू करने, अपनी जरूरतों और मांगों को रखने की।इसके अलावा, जहां शिक्षक कम आपूर्ति (विशेष शिक्षा में) के रूप में हैं, दूरस्थ शिक्षण विधियां भौगोलिक रूप से बिखरे हुए छात्रों और शिक्षकों के बीच विशेष सेवाएं प्रदान करने में मदद कर सकती हैं।

Identifying Learning Disability and Generating Resources for Coping Up

Rima Dutta
Research Scholar, Dept. of Education,
Guru Ghasidas University, Bilaspur (CG)

Many children have trouble reading, writing, or performing other learning-related tasks at some point. This does not mean they have learning disabilities. A learning disability is a neurological disorder. In simple terms, a learning disability results from a difference in the way a person's brain is "wired." Children with learning disabilities are as smart as or smarter than their peers. But they may have difficulty reading, writing, spelling, reasoning, recalling and/or organizing information if left to figure things out by them or if taught in conventional ways. A child with a learning disability often has several related signs, and they don't go away or get better over time. The signs of learning disabilities vary from person to person.

Common signs that a person may have learning disabilities include the following:

- Problems reading and/or writing
- Poor memory
- Trouble following directions
- Trouble telling time
- Problems with math
- Problems paying attention
- Clumsiness
- Problems staying organized

A child with a learning disability also may have one or more of the following:

- Acting without really thinking about possible outcomes (impulsiveness)
- "Acting out" in school or social situations
- Difficulty staying focused; being easily distracted
- Difficulty saying a word correctly out loud or expressing thoughts
- Problems with school performance from week to week or day to day
- Speaking like a younger child; using short, simple phrases; or leaving out words in sentences
- Having a hard time listening
- Problems dealing with changes in schedule or situations
- Problems understanding words or concepts

Learning disabilities have no cure, but early intervention can lessen their effects. People with learning disabilities can develop ways to cope with their disabilities. Getting help earlier increases the chance of success in school and later in life. If learning disabilities remain untreated, a child may begin to feel frustrated, which can lead to low self-esteem and other problems.

विशेष शिक्षा

लवकेश
एम.एड. (चतुर्थ सेमेस्टर)
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

कुछ बालक सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक आदि रूपों में अलग होते हैं, ये बालक विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ये सामान्य बालकों की तरह सामान्य शिक्षा व्यवस्था में सामायोजित नहीं हो पाते हैं। अतः सामान्य शिक्षा व्यवस्था में थोड़े परिवर्तन व अनुकूलन की आवश्यकता होती है। ताकि ये उपलब्ध साधनों में अधिक लाभ उठा सकें। इन विशिष्ट बालकों को समय, धन व शक्ति के सीमित होने के कारण सामान बालकों के साथ ही एकीकृत कर शिक्षा व्यवस्था की जाती है, किन्तु जब विशिष्टता अधिक हो तो इनके लिये विशेष शिक्षा व्यवस्था की जाती है।

विशेष शिक्षा विशेष बालकों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था है जिसमे विशिष्ट बालकों की आवश्यकता के अनुरूप कक्ष व्यवस्था, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन विधियाँ आदि का प्रावधान रखा जाता है, ताकि उनकी विशिष्ट क्षमताओं का पूर्ण विकास हो सके।

विकलांगों की शिक्षा एवं सर्वांगीण पुनर्वास में समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन

आरसी प्रसाद झा
अनुसंधान सहयोगी
भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, प्रताप नगर, उदयपुर (राज.)

विकलांगों की समावेशी शिक्षा एवं सर्वांगीण पुनर्वास में विभिन्न कारकों (जैसे–विकलांग द्वारा स्वयं के प्रति मनोवृत्ति, स्वधारणा व लक्ष्य/उपलब्धि पाने की आकांक्षा स्तर, परिवार के सदस्यों का उस विकलांग के प्रति मनोवृत्ति, हस्तक्षेप प्रकिया व परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं सामुदायिक स्तर का हस्तक्षेप) के प्रभाव का अध्ययन करना है। यह अध्ययन केस विधि, विवरणात्मक व गुणनात्मक विधि से किया गया। इस अध्ययन के लिए राजस्थान के उदयपुर व सीकर जिले से कुल 2 महिला दृष्टिहीन विकलांगों (प्रतिदर्शों) का केस अध्ययन विधि से अध्ययन किया गया, जिसमें पहले प्रतिदर्श सामान्य विद्यालय में शिक्षिका व दूसरे प्रतिदर्श सामान्य विद्यालय में छात्रा हैं। इनकी उम्र कमशः 47 व 14 वर्ष अध्ययन के समय पाई गई। इस अध्ययन के लिए व्यक्तिगत सूचना पत्रक व केस वृत–पत्रक के माध्यम से सूचना लिया गया जिसमें वर्तमान शोधकार्य द्वारा उम्र, लिंग, शिक्षा, आदि की जानकारी के साथ–साथ विकलांग के जन्म से लेकर अभी तक की घटना की संपूर्ण घटनाओं, आदि की जानकारी ली गई।

अध्ययन के परिणाम यह इंगित करते हैं कि विकलांगों की समावेशी शिक्षा एवं सर्वांगीण पुनर्वास के लिए विकलांग में स्वयं के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति व स्वधारणा होना आवश्यक है। माता–पिता द्वारा विभिन्न गतिविधि में भाग लेने, प्रोत्साहित करने व आवश्यकताओं को समय से पूरा होने से विकलांगों की समावेशी शिक्षा एवं सर्वांगीण पुनर्वास में सहायक सिद्ध होता है। परिवार की आर्थिक स्थिति उच्च/मध्यम स्तर होने पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा एवं सर्वांगीण पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकलांगों के लक्ष्य को पहुँचाने में समुदाय की जन–सहभागिता आवश्यक है। जनसहभागी द्वारा अपनी सामर्थ्य व क्षमता से सहायता करने से विकलांगों की समावेशी शिक्षा एवं सर्वांगीण पुनर्वास संभव है।

दिव्यांग : चुनौती एवं सामाजिक स्वीकार्यता

देवादास बंजारे
एम.ए.–समाजशास्त्र

चिकित्सा कारणों से कभी–कभी व्यक्ति के विशेष अंगों में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें समाज में दिव्यांग की संज्ञा दे दी जाती है और उन्हें एक विशेष वर्ग के सदस्य के तौर पर देखा जाने लगता है। इन्हें लोग पिछले जन्म की पाप व उनके जन्म ही कठिनाइयों को सहने के लिये बना है मानते है। पर यह दोनों धारणाएँ पूरी तरह तर्कहीन और बेबुनियाद हैं। इसके बाद भी लोग अपने मनोरंजन के लिए दिव्यांगो का उपहास व जाने–अनजाने में छींटाकशी करने से बाज नहीं आते। देखा जाये तो भारत में दिव्यांगों की स्थिति संसार के अन्य देशों की तुलना में थोड़ी दयनीय ही कही जाएगी। क्योंकि एक तरफ यहाँ के लोगों द्वारा दिव्यांगों को प्रेरित कम हतोत्साहित अधिक किया जाता है। कुल जनसंख्या का मुट्ठी भर यह हिस्सा आज हर दृष्टि से उपेक्षा का शिकार है। दूसरी तरफ दिव्यांगों के लिए क्षमतानुसार कौशल प्रशिक्षण जैसी योजनाओं के होने के बावजूद जागरूकता के अभाव में दिव्यांग आबादी का एक बड़ा हिस्सा जिंदगीभर बेरोजगार रह जाता है।

हमारे सामने भारतीय पैराओलंपियन देवेंद्र झांझरिया, धावक ऑस्कर पिस्टोरियस, मशहूर लेखिका हेलेन केलर जैसे लोगों की लंबी फेहरिस्त है, वैज्ञानिक व खगोलविद स्टीफन हॉकिंग जिन्होंने विकलांगता को कमजोरी नहीं समझा, बल्कि चुनौती के रूप में लिया और आज हम उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें याद करते हैं। मेरी यह छोटी–सी अपील है कि दिव्यांगों का मजाक न उड़ाएँ उन्हें सहयोग दें। क़ानूनी रूप से निःशक्तों (विकलांगों) को 'दिव्यांग' कहने का उचित विचार तभी सार्थक हो सकता है, जब महज एक औपचारिकता ना रहे, बल्कि इस सुझाव को व्यवहार में लाया जाना चाहिए। साथ ही विकलांगों के लिए कानून, योजनाएँ और नीतियाँ उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि समाज के रवैये में बदलाव की आवश्यक है।

नेत्रदान : श्रेष्ठदान

फलेन्द्र कुमार
विद्यार्थी
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

किसी दृष्टिहीन व्यक्ति के कठिनाई भरे जीवन का अंदाज सिर्फ आप कुछ पलों के लिए अपनी आँखे बंद कर ही लगा सकते है।ऑखे बंद करते ही जीवन के सुन्दर दृश्य प्राकृतिक छटायें,सूर्य, जल,पृथ्वी,आकाश व जनजीवन के विभिन्न रूप अदृश्य हो जाते है,वहीं मन में एक भय व असुरक्षा की भावना समा जाती है और तत्काल ऑखे खोलने को मजबूर हो जाते है।प्रकाश व दृष्टि से परे,जीवन का एक दूसरा रूप यह भी जानिए कि पूरी दुनियां में करीब तीन करोड़ लोग पूरी तरह से दृष्टिहीन है।नेत्रदान वह प्रक्रिया है जिसमें मानव नेत्रदान द्वारा दान-दाताओं से उनकी मृत्यु के बाद ग्रहण किये जाते हैं।नेत्रदान से प्राप्त इन ऑखों की स्वच्छ कार्निया को ऐसे दृष्टिहीन व्यक्ति जिनका जीवन कार्निया में सफेदी आ जाने से अंधकारमय हो गया है,को प्रत्यारोपित कर नेत्र ज्योति लौटायी जा सकती है।आमतौर पर नेत्रदान के संबंध में अधिक जानकारी आम नागरिकों को नहीं है। नेत्रदान" ये असाधारण कार्य करके मृत्यु के बाद भी जीवित रहने का यह मौका हर व्यक्ति को मिलता है परन्तु कितने लोग इन असाधारण कार्यों को अंजाम दे पाते है बहुत कम लगभग न के बराबर। मृत्यु के पश्चात परिवार के लोग मृतक के शरीर को या तो अग्निदान या जमीनदान कर देते है परन्तु अग्निदान या जमीनदान से पहले अगर हम उस मृतक की आँखें उसकी इच्छा अनुसार किसी जीवित नेत्रहीन को दान करके उसके जीवन अंधकार दूर कर दे तो वह मृतक व्यक्ति की अपनी दान की हुई आँखो से इस दुनिया को देख सकता है। हम कह सकते कि वह व्यक्ति हमेशा के लिए हमारे बीच इस दुनिया मे जीवित रहेगा । लेकिन यदि हम मरणोपरांत नेत्रदान करते है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम ज्यादा पुण्य कमायेंगे। भारतवर्ष में प्रति हजार शिशुओं मे 9 शिशु नेत्रहीन जन्मते है। और देश में प्रति वर्ष 30 लाख लोगों की मौत होती है। यदि इन 30 लाख लोगों में से सिर्फ एक प्रतिशत याने सिर्फ 30 हजार लोगों ने भी नेत्रदान किया तो हमें हमारे देश से अन्धता खत्म हो जायेगी। वे कौन से कौन अन्धविश्वास है जो हमे नेत्रदान जैसा पुण्य काम करने से रोकते है। पहला अन्धविश्वास यह है कि ईश्वर ने हमें सम्पुर्ण अंगों के साथ पृथ्वी पर भेजा है तो हमें भी ईश्वर के पास सम्पुर्ण अंगों के साथ ही जाना चाहिए। दुसरा अन्धविश्वास यह है कि यदि हमने इस जन्म में अपने नेत्रदान किये तो अगले जन्म में हम अन्धे पैदा होंगे। किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति चाहे वह पुरुष है या स्त्री, गरीब है या अमीर, किसी भी धर्म या जाति का हो, नेत्रदान की शपथ ले सकता है। जो व्यक्ति डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर से पीडित हो, चश्मे या कान्टेक्ट लैंस पहनते हो, जिन लोगों की कैरेक्ट की सर्जरी हो चुकी हो, वे भी अपने नेत्रदान करने की शपथ ले सकते है। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु पूर्व एच आई वी पोजिटिव, हेपेटाइटस बी या सी, ब्लड कैंसर, सैप्टीसिमिया से पीडित हो या 48 से 72 घंटे वैन्टीलेटर पर हो तो उनकी आँखें दान नही की जस सकती है।

हमारे चारों वेद, सभी शास्त्र, बाइबल, कुरान यही कहते है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। तो फिर यह नियम यहां क्यों लागु नही होता। छत्तीसगढ़ में स्थान-स्थान पर ऐसे सामाजिक संगठनों के सहयोग की आवश्यकता है नेत्रदान व नेत्र प्रत्यारोपण के बीच कड़ी का काम कर सके,न केवल मरणासन्न व्यक्ति के परिवार को उस व्यक्ति के मरणोपरान्त नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित कर सके। बल्कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें नेत्र प्रत्यारोपण की आवश्यकता है उन्हें भी नेत्रों के उपलब्ध होने की खबर जल्द से जल्द पहुंचाकर ऑपरेशन के लिए भर्ती करने व मानसिक रूप से तैयार होने में मदद कर सके।इसलिए निरंतर प्रचार व जन जागरण की आवश्यकता है।

रंगभूमि में सूरदास का दिव्यांग विमर्श

अनीता गोदारा
शोधार्थी हिन्दी
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर राजस्थान

हिन्दी साहित्य की अमूल्य विधियाँ उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द जैसे सशक्त, संवेदनशील, अप्रतिम प्रतिभा के धनी आदर्शोन्मुख यथार्थ के प्रेणता कथाकार ही के अवतरित कर सकते है। अपने उपन्यासों में दूरदर्शी कथाकार प्रेमचन्द ने एक भी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, ध ार्मिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक पक्षों व समस्याओं को अनदेखा नहीं किया। यही कारण है कि नित नई समस्याओं से जूझते समाज को मनोवैज्ञानिक स्तर पर गहराई से प्रभावित किया है प्रेमचन्द के उपन्यासों ने। कहना कतई गलत नहीं है कि "सूरदास" की सृजना वक्र की माँग थी। "सूर" रंगभूमि का नायक है। प्रेमचन्द को इस उपन्यास के सश्जन की प्रेरणा गांव के अंधे भिखारी से मिली थी। हिन्दी उपन्यास साहित्य में सहसा हाथों में लकड़ी थामे एक अंधे भिखारी के रूप में नायक का प्रदेश एक अप्रत्याशित घटना थी। हिन्दी साहित्य ही नहीं अपितु साहित्य की सम्पूर्ण परम्परा में "नायक" का ऐसा कोई स्वरूप नहीं जिससे सूट की तुलना भी की जा सके। नायकत्व के समस्त उतिमान सूट तक आते –आते कंगाल हो जाते है। दिव्यांग सूरदास न केवल रंगभूमि के केन्द्र में है अपितु सर्वाधिक जीवन्त है।

समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे

रितु साहू
(विद्यार्थी)
बी.एड़ द्वितीय वर्ष स्पेशल एजुकेशन, शिक्षा विभाग
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर

विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिये सामान्य बालकों के अलावा कुछ ऐसे बालक भी आते है, जिनकी अपनी कुछ शारीरिक व मानसिक विशेषताएँ होती है। इनमें से कुछ प्रतिभाशाली, कुछ मन्दबुद्धि, कुछ पिछड़े हुए और कुछ शारीरिक दोषों वाले बालक होते है। इन्हें "विशिष्ट बालक" अथवा "अपवादात्मक" बालक भी कहते है। विशिष्ट शब्द का अर्थ प्रत्येक बालक हेतु भिन्न–भिन्न होता है। कहीं पर इस शब्द का प्रयोग 'सर्वप्रथम संपन्न' बालकों हेतु भी किया जाता है तथा कहीं पर यह शब्द असाधारण बालकों हेतु प्रयोग किया जाता है।

समावेशित शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता –

1. समावेशित शिक्षा प्रत्येक बालक के लिये उच्च और उचित उम्मीदों के साथ, उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है।
2. प्रत्येक बालक स्वाभाविक रूप से सीखने के लिये अभिप्रेरित होता है।
3. समावेशित शिक्षा अन्य बालकों अपने स्वयं के व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग करती है।
4. समावेशित शिक्षा सम्मान और अपनेपन की विद्यालय संस्कृति के साथ–साथ व्यक्तिगत मतभेदों का स्वीकार करने के लिये अवसर प्रदान करती है।
5. समावेशित शिक्षा बालक को अन्य बालकों के समान कक्षा गतिविधियों में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर कार्य करने के लिये अभिप्रेरित करती है।

समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) की संकल्पना

के.के कुजूर
शोधकर्ता

राजश्री कुम्भज
शोधकर्ता

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

समावेशी शिक्षा की परिकल्पना इस संकल्पना पर आधारित है कि सभी बच्चों के विद्यालयी शिक्षा में समावेशन व उसकी प्रक्रियाओं की व्यापक समझ की इस कदर आवश्यकता है कि उन्हें क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, सामजिक परिवेश और विस्तृत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक प्रक्रियाओं दोनों में ही संदर्भित करके समझा जाए क्योंकि भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्य मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है, जिसका ईशारा समावेशी शिक्षा की तरफ हीं है। हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है, और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्त्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे लोकत्रांतिक स्कूल में बच्चे के समुचित समावेशन हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके।

समावेशी शिक्षा हेतु यह प्रयास भी किया जाना चाहिए कि स्कूलों को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाया जाए ताकि वहाँ छात्र की सामुदायिक जीवन की भावना को बल मिले, जिससे वे सफल एवं योग्यतम सामाजिक जीवन–यापन कर सकें इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समय–समय पर विद्यालयों में वाद–विवाद, खेल–कूद तथा देशाटन जैसे मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों के ज्ञान, कौशल, में आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें भारतीय समुदायों और कार्यस्थलों में योगदान करने के लिए तैयार करना होना चाहिए, किन्तु भारतीय स्कूलों की विविध पृष्ठभूमि और क्षमताओं के साथ छात्रों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने के रूप में समावेशी शिक्षा केंद्रीय उद्देश्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, लेकिन हम इन चुनौतियों का मुकाबला शिक्षकों के सहयोग, माता–पिता के प्रयास, और समुदाय से मिलकर करने हेतु प्रयत्नशील है

"दिव्यांगों के कल्याण में भारतीय प्रजातंत्र की भूमिका"

मोहम्मद वसीम अकरम मोमिन
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग
पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

एक सभ्य, विकासशील एवं प्रजातांत्रिक देश दिव्यांगों के कल्याण एवं पुर्नवास के उत्तरदायित्व से स्वयं को पश्थक नहीं कर सकता। यहां दिव्यांग से आशय ऐसे मानवों से है जो अपनी शारीरिक या मानसिक विकृतियों के कारण समाज में सामान्य रूप से अपना जीवन जीने में असक्षम होते है। दिव्यांग भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। उनके कल्याण हेतु कार्य करना समाज प्रत्येक व्यक्तियों का नैतिक दायित्व है। यदि दिव्यांगों को थोड़ी सहायता दे दी जाए, तो उनकी ऊर्जा राष्ट्र के विकास में प्रयुक्त की जा सकती है। प्रत्येक सभ्य समाज का यह दायित्व है कि वह दिव्यांगों की हर संभव सहायता करे। उनके लिए उत्थान एवं पुर्नवास संबंधी नियम बनाये, ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा में जुड़कर एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत सकें।

अन्य देशों की भांति भारत में एक बड़ी संख्या दिव्यांगजनों की है। जिनके विकास के बिना समग्र समाज का विकास सम्भव नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए दिव्यांगों हेतु भारतीय प्रजातंत्र में संवैधानिक प्रावधान किए गए है। निःशक्त और वृद्धजनों के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित नीति–निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है।

इसमें राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनअर्हता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करता है। वहीं भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची अंतर्गत नगरीय निर्धनता उन्मूलन के साथ-साथ समाज के दुर्बल वर्ग के, जिनके अंतर्गत दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी है, उनके हितों की रक्षा करना सम्मिलित किया गया है। भारतीय प्रजातंत्र में दिव्यांगों के कल्याण हेतु संवैधानिक प्रावधान के अतिरिक्त केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने अनेक कार्य किए हैं जैसे– दिव्यांग व्यक्तियों हेतु मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन, राष्ट्रीय दिव्यांग संस्थानों की स्थापना एवं भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना आदि। भारतीय प्रजातंत्र में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में दिव्यांगों के पुर्नवास सम्बन्धी प्रावधान को ध्यान में रखा गया है। इस तरह दिव्यांगों के कल्याण में भारतीय प्रजातंत्र व्यापक भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

समावेशी शिक्षा और दिव्यांगता दृष्टि

विनोद कुमार
एम.एड. (चतुर्थ सेमेस्टर)
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें एक सामान्य एवं दिव्यांग बच्चों को एक साथ कक्षा कक्ष में समायोजित करते हुए सामान्य शिक्षा देने की बात की जाती है। साथ ही साथ समाज से बहिष्कार न होने की बात करता है। जिसमें दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत वह बालक/बालिका जो शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, और दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित होते हैं जिन्हें पढ़ने, लिखने, सुनने, देखने एवं समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन बालकों/बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने के लिये विशेष प्रकार की विधि, तकनीकी, मॉडल के द्वारा विशेष प्रकार से शिक्षा में अग्रसर हो सके, और सामान्य बालक/बालिकाओं के समक्ष अपनी योग्यताओं को प्रदर्शित कर सके। जो कि स्कूल एवं समाज में विभिन्न प्रकार के गतिविधियों में हिस्सा लेने से वंचित होते हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से दूर करके उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए समाज में सामान्य रूप से जीवन निर्वाह कर सके। जो कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से संभव होती है।

समाज में दिव्यांग लोगों को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है। उसी प्रकार समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय को स्वीकार नहीं करते। और दिव्यांग बच्चे और सामान्य बच्चे को अलग मान्य नहीं किया जा सकता। जो कि समावेशी शिक्षा एक समान शिक्षा देने की बात

करता है। जिससे वर्तमान समय मे समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिससे उन बच्चों को सामाजिक, लोकतांत्रिक, आत्मनिर्भर बनाने में समावेशी शिक्षा की अहम् भूमिका होती है। समावेशी शिक्षा के द्वारा उन बच्चों का उन्नति एवं विकास के लिये शैक्षणिक कियाओं द्वारा किया जाता है। दिव्यांगजनों के प्रति सामान्य वर्ग सामाजिक और अस्वीकारिता रूढ़ीवादी ध ारणाओं के कारण दिव्यांगजनों की क्षमता एवं कौशल का सही उपयोग एवं मूल्यांकन नहीं हो पाता। जिससे वे अपने आप को अन्य वर्ग से अलग मानकर हीन भावना का शिकार हो जाते हैं।

समावेशी शिक्षा में दिव्यांगजन और सामान्य वर्ग को समावेशित करते हुए सामान्य वातावरण दिया जाता है।

समावेशी शिक्षा

श्रीमती रेणु वडेरा, शोधार्थी
डॉ.सी.वी.रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर

समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिये की गई थी लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धान्त को विस्तश्त दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए।

समावेशी शिक्षा की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हैं। आधुनिक समय में प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग होने लगा है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधि ायों में भाग लेने का अधिकार है।

साधारणतः छात्र एक कक्षा में अपनी आयु, के हिसाब से रखे जाते है चाहे उनका अकादमिक स्तर ऊंचा या नीचा ही क्यों न हो। शिक्षक सामान्य और दिव्यांग सभी बच्चों से एक जैसा बर्ताव करते हैं। अशक्त बच्चों की मित्रता अक्सर सामान्य बच्चों के साथ करवायी जाती है ताकि सहयोग की भावना बढ़े।

इस प्रकार समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की बात का समर्थन करती है। यह सही मायने में सर्व शिक्षा जैसे शब्दों का ही रूपान्तरित रूप है जिसके कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है "विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा"।

Status of NGOs for Special Need Children: Special Reference to Bilaspur Dietrict

Mr. Jai Hind Vishwakarma
Research Scholar &

Dr. Sonia Sthapak
Assistant Professor

Department of Education
GGV, Bilaspur, C.G.

In this present paper researcher want to say about the working style and status of the NGO which is working for the betterment of the special need children in bilaspur district. Survey method used for the collecting of the data and sample of the study were for NGO who were working in the field of education. To measure all the condition of the NGO, researcher used four tool i.e. check list, structured interview schedule, observation and questionnaire. The result of the study show that NGOs are working as a agent for the development of the special need children. But the conditions of NGO of infrastructural facilities were not good.

Keywords: NGO, Special Need Children.

समावेशी शिक्षा एवं समावेशी विकास

दिनेश भास्कर

दिलीप कुमार

निशु कुमार

शिक्षा विभाग
बी.एड. विशेष शिक्षा (HI)
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर

शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक अशक्त या विकलांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक अशक्त या विकलांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए।

समान अवसरों के साथ विकास करना ही समावेशी विकास है। दूसरे शब्दों में ऐसा विकास जो न केवल नए आर्थिक अवसरों को पैदा करे, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए सृजित ऐसे अवसरों की समान पहुँच को सुनिश्चित भी करे हम उस विकास को समावेशी विकास कह सकते हैं। जब यह समाज के सभी सदस्यों की इसमें भागीदारी और योगदान को सुनिश्चित करता है। विकास की इस प्रक्रिया का आधार समानता है। जिसमें लोगों की परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है।